



हिंदी दिवस विशेषांक-2024

प्रेरणा



नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

नौएडा दादरी रोड, फेस-II, नौएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर - 201305

संदेश



यह जानकर खुशी हुई कि नोएडा सेज ने हिंदी दिवस से ठीक पहले प्रेरणा पत्रिका का 'हिंदी दिवस विशेषांक' संस्करण निकाला है। मैं नोएडा सेज के कार्यालय में राजभाषा के प्रचार-प्रसार में कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान की सराहना करना चाहता हूँ। सबसे पहले, अनुमोदन समिति और एनएसईजेड प्राधिकरण की बैठकों का हिंदी में अनुवाद करना सराहनीय है। हमारे कार्यालय में नोटिंग और पत्राचार के साथ राजभाषा का प्रयोग भी बढ़ा है। कर्मचारियों की शब्दावली बढ़ाने के लिए एनएसईजेड वेबसाइट पर शब्दावली को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। नोटिस बोर्ड पर हिंदी शब्दों और वाक्यों में उनके प्रयोग को प्रतिदिन अपडेट किया जाता है।

प्रदर्शन के मोर्चे पर, यह जानकर खुशी हुई कि इस वर्ष के पहले छह महीनों यानी जनवरी से जून, 2024 के दौरान, व्यापारिक निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर 12% है, जबकि सेवाओं के लिए यह 16.8% है। इसी अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं दोनों की समग्र वृद्धि 16.2% है। यह हमारे निर्यातकों के अथक प्रयासों की पुष्टि है, जो संघर्षों और इनपुट और माल ढुलाई लागतों की कीमतों में अस्थिरता से उत्पन्न वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद है। मुझे उम्मीद है कि यह सकारात्मक प्रवृत्ति जारी रहेगी।

ए. बिपिन मेनन

अ. बिपिन मेनन

विकास आयुक्त
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

विषय	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र क्यों चुने		3-4
अप्रैल-जून 2024 की अवधि के लिए आंचलिक एनएसईजेड की प्रतिवेदन		5-9
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन		10-15
भारत ईएफटीए व्यापार समझौता		16-20
माननीय राज्य मंत्री का नोएडा एसईजेड का दौरा		21-22
निर्यातक जागरूकता कार्यक्रम		23-28
हैदराबाद में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) बैठके		29-30
भारत में डिजिटल क्रांति		31-34
भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता		35-37
एमएसएमई विकास शिखर सम्मेलन		38-39
जयपुर समिट		40-42
चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन		43-45
सेमीकंडक्टर चिप मूल्य श्रृंखला		46-48
"कंठस्थ" 2.0 अनुवाद सारथी टूल का विवरण		49-57
सुन्दरबन		58-64
लद्दाख		65-71
योग का महत्त्व		72-73
सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए)-बडगाम में एक स्पोर्ट अध्ययन		74-80
व्यापारिक स्वतंत्रता एक विश्लेषण		81-82
ग्लोबल वार्मिंग		83-85
अधिकारियों की सूची		86-87
सम्पादन		88

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को क्यों चुनें

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में वाणिज्य विभाग एवं उद्योग मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में लगभग 310 एकड़ भू-भाग में की गई है।

भारत की राजधानी नई दिल्ली से 24 किमी की दूरी पर है।

यह केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एकमात्र विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो उत्तर भारत में स्थित है। यहाँ भारत सरकार ने इसके विकास हेतु रु 1105.08 करोड़ निवेश किया है। यह उद्यमियों को पूर्ण विकसित बुनियादी सुविधा जैसे कि निर्वाध विद्युत आपूर्ति, कुशल संचार सुविधा, विश्वासनीय परिवहन सेवा, मेट्रो स्टेशन, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो कि कार्यालय परिसर में ही है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा जिसकी दूरी विकास आयुक्त कार्यालय से मात्र 500–600 मीटर है। सीमाशुल्क निकासी व भंडारण सुविधा, बैंकिंग सुविधा, स्वर्ण व आभूषण एकक के लिए पृथक परिसर व सहायक सेवा, सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए उपग्रह डाटा लिंक संचार सुविधा आदि मुहैया करा रहा है। वर्ष 2023–24 में रु० 9857 करोड़ का निर्यात हुआ है। रोजगार सृजन 31 मार्च 2024 में 40176 हो गया है। इसके अंतर्गत राज्य / प्राइवेट विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यात उन्मुक्त ईकाई (ई० ओ० यू०) जो मुख्यतः नौ राज्यों एवं दो केन्द्र शासित प्रदेशों में हैं जिनके नाम हैं:— जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और चंडीगढ़।

यह कार्यालय भारत सरकार के दो मुख्य योजनाओं—विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना और शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख ईकाई योजना का कार्यन्वयन और देख-रेख कर भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, रोजगार के सृजन और निवेश के बढ़ावा देने में सक्रिय है।

सभी क्षेत्रों को कुल निर्यात, निवेश और रोजगार जो नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं रु. 98486 करोड़ रु. 59629 करोड़ तथा 497887 है।

विकसित प्लॉट का आवंटन रु 169 प्रतिवर्ष की दर से 15 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा किराया पर दिया जाता है। 15 वर्ष से पूर्व यदि अनुमोदन पत्र (LOA) वैध नहीं रहता है तो नियम

2006 के नियम पी 1 (5) के तहत लीज भी वैध नहीं रह जाती है। मानकीकृत कारखाने परिसर में निर्मित भाग को 5 वर्ष के लिए 2337/- प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष की दर से आंशिक किया जाता है। इनके किराये प्रत्येक वर्ष या समय-समय पर इसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के संशोधित किया जा सकता है। करार की समाप्ति पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

भाषाई आधार पर यह कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है। हमारा कार्यालय राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के तहत 11 जनवरी 1988 से अधिसूचित है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र के स्थापना का उद्देश्य :

- घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्धन
- निर्यात के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाओं का विकास
- वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात संवर्धन
- प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण
- आर्थिक कार्यकलापों का सकल
- विकास रोजगार सृजन
- एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएँ प्रदान करना ।

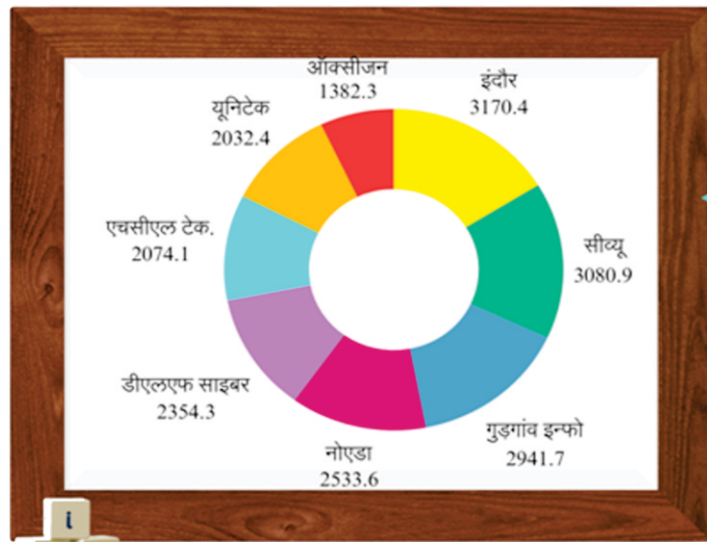
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के क्षेत्र में इकाई स्थापित करने के लिए अतिरिक्त आकर्षण :

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के परिसर में विभिन्न सरकारी बैंक, डाकघर व बीमा के कार्यालय हैं। इससे यहाँ के अधिकारी/कर्मचारी लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा आगन्तुकों के लिए पार्किंग में जनसुविधाओं की भी व्यवस्था है और जलपान हेतु भोजनालय की भी व्यवस्था परिसर में उपलब्ध है। अभी हाल ही में नौएडा, ग्रेटर – नौएडा मेट्रो का एक द्वार कार्यालय के परिसर में भी बनाया गया है व मेट्रो स्टेशन का नाम एन. एस. ई. जैड रखा गया है।

अप्रैल-जून 2024 की अवधि के लिए आंचलिक एनएसईजेड की रिपोर्ट

1. एसईजेड-वार निर्यात

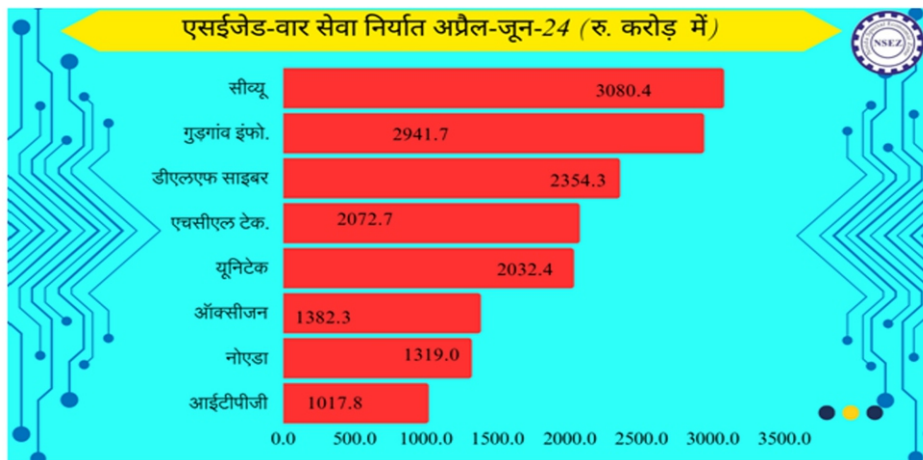
अप्रैल-जून 2024 की अवधि के दौरान आंचलिक नोएडा एसईजेड का कुल एसईजेड-वार निर्यात 28061.1 करोड़ रुपये था। इन निर्यातों का एसईजेड-वार ब्यौरा इस प्रकार है :



एसईजेड-वार निर्यात
अप्रैल-जून 2024
(रु. करोड़ में)

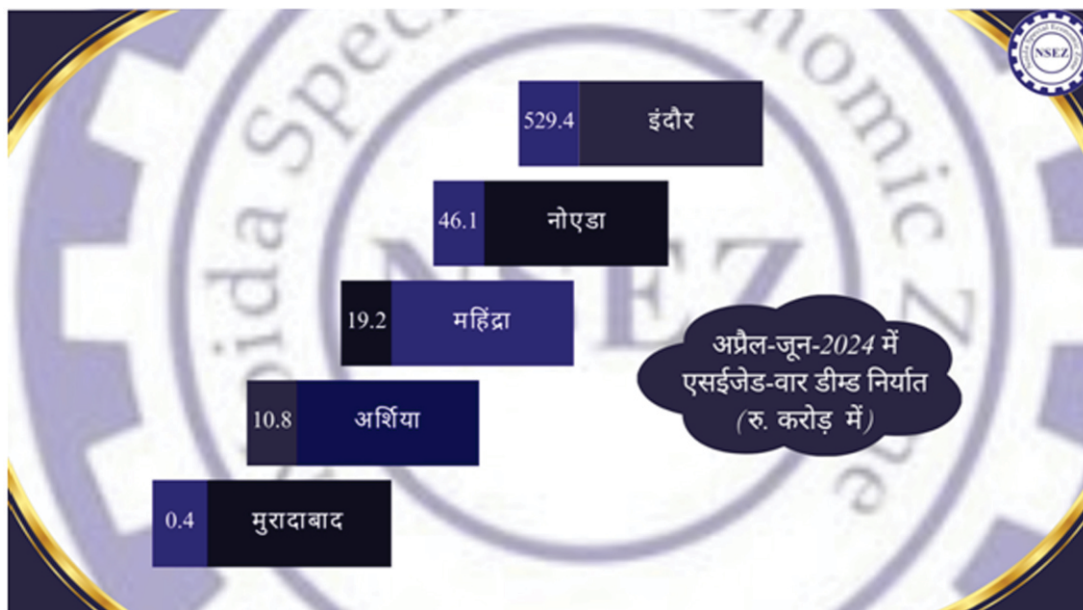
2. सेवा निर्यात

अप्रैल-जून 2024 की अवधि के दौरान आंचलिक नोएडा एसईजेड का कुल सेवा निर्यात 22223.0 करोड़ रुपये था।



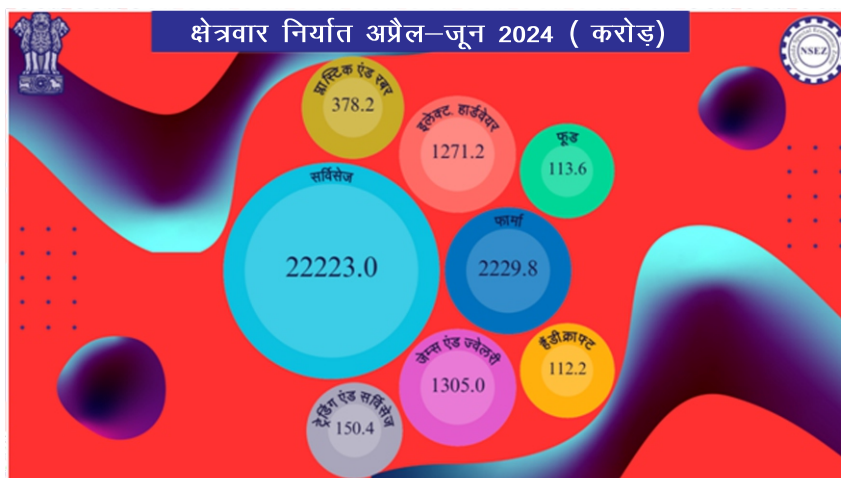
3. डीमड या मानित निर्यात

अप्रैल-जून 2024 की अवधि के लिए आंचलिक एनएसईजेड के अंतर्गत सभी इकाइयों द्वारा किया गया कुल डीमड निर्यात 587.4 करोड़ रुपये था। एसईजेड के अनुसार निर्यात का अनुमानित आंकड़ा इस प्रकार है।



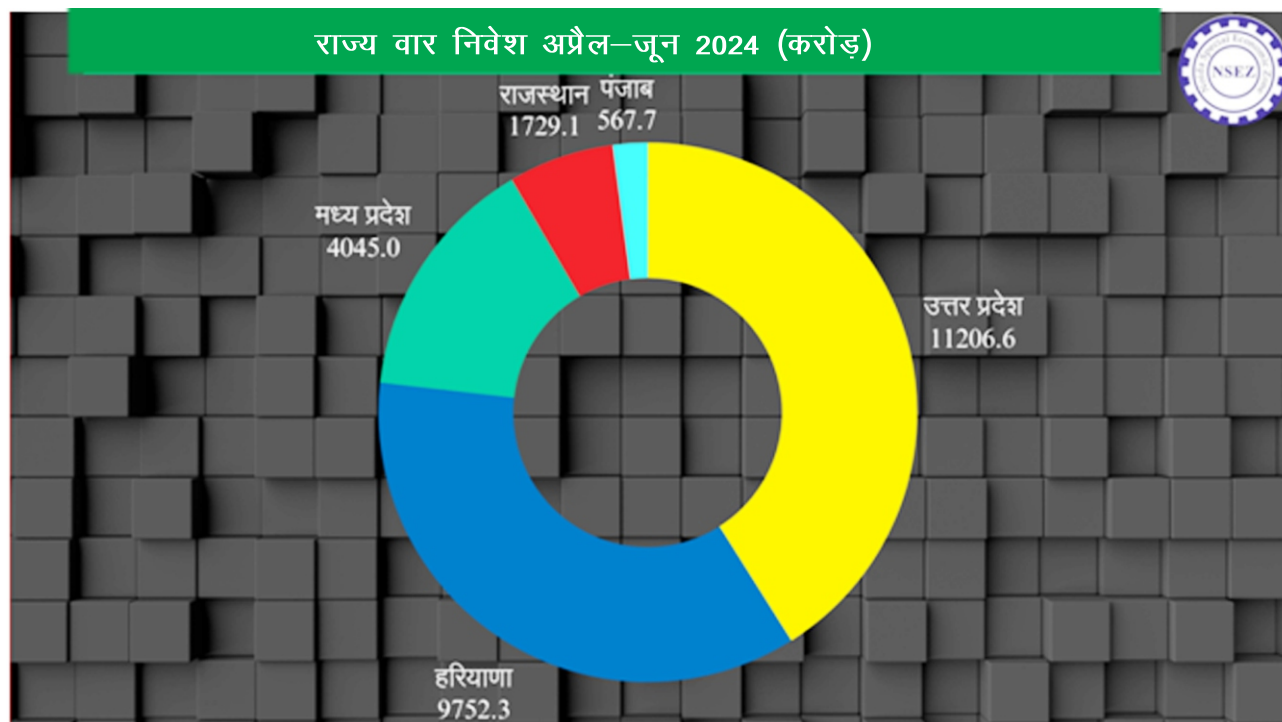
4. क्षेत्रवार निर्यात (क्षेत्रीय एनएसईजेड)

अप्रैल-जून 2024 की अवधि के लिए आंचलिक एनएसईजेड के अंतर्गत सभी इकाइयों द्वारा की गई कुल क्षेत्रवार आपूर्ति 28061.1 करोड़ रुपये थी।



5. राज्य-वार निवेश

अप्रैल-जून 2024 की अवधि के दौरान आंचलिक नोएडा एसईजेड का कुल राज्यवार निवेश 31345.9 करोड़ रुपये था। इस निवेश का एसईजेड-वार ब्यौरा इस प्रकार है।



तिमाही (अप्रैल-जून 2024) के दस्तावेजों का अनुवाद का विवरण:

क्रमांक	अप्रैल 2024	शब्द	निर्णय संख्या
1.	उत्तर प्रदेश निजी (ग्रेटर नोएडा खुर्जा) आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (04 अप्रैल 2024)	2873	10
2.	हरियाणा अनुमोदन समिति (04 अप्रैल 2024)	2443	9
3.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (05 अप्रैल 2024)	2116	4
4.	मुरादाबाद अनुमोदन समिति (10 अप्रैल 2024)	1328	2
5.	सीतापुरा अनुमोदन समिति (15 अप्रैल 2024)	2782	10
6.	पंजाब/चंडीगढ़ अनुमोदन समिति (30 अप्रैल 2024)	2335	5
7.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (29 अप्रैल 2024)	4759	10
क्रमांक	मई 2024	शब्द	निर्णय संख्या
1.	उत्तर प्रदेश निजी (ग्रेटर नोएडा खुर्जा) आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (04 अप्रैल 2024)	1681	6
2.	हरियाणा अनुमोदन समिति (02 मई 2024)	5902	15
3.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (15 मई 2024)	3564	8
4.	महिंद्रा अनुमोदन समिति (17 मई 2024)	1605	5
5.	सीतापुरा अनुमोदन समिति (17 मई 2024)	2014	5
6.	निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) अनुमोदन समिति (20 मई 2024)	1617	3
7.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (27 मई 2024)	5991	6
क्रमांक	जून 2024	शब्द	निर्णय संख्या
1.	पंजाब/चंडीगढ़ अनुमोदन समिति (3 जून 2024)	2517	6
2.	हरियाणा अनुमोदन समिति (06 जून 2024)	2831	10
3.	उत्तर प्रदेश निजी (ग्रेटर नोएडा खुर्जा) आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (06 जून 2024)	4075	14
4.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (13 जून 2024)	3906	10
5.	सीतापुरा अनुमोदन समिति (21 जून 2024)	1708	4
6.	महिंद्रा अनुमोदन समिति (21 जून 2024)	911	2
कुल योग :		58975	151

तिमाही (अप्रैल-जून 2024) के निवेश, रोजगार का विवरण:

क्रमांक	अप्रैल 2024	निवेश (रु० करोड़)	रोजगार (संख्या)
1.	उत्तर प्रदेश निजी (ग्रेटर नोएडा खुर्जा) आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (04 अप्रैल 2024)	22.8	119
2.	हरियाणा अनुमोदन समिति (04 अप्रैल 2024)	0.0	0
3.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (05 अप्रैल 2024)	15.5	186
4.	मुरादाबाद अनुमोदन समिति (10 अप्रैल 2024)	1.8	0
5.	सीतापुरा अनुमोदन समिति (15 अप्रैल 2024)	9.3	227
6.	पंजाब/चंडीगढ़ अनुमोदन समिति (30 अप्रैल 2024)	0.0	0
7.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (29 अप्रैल 2024)	—	—
क्रमांक	मई 2024	निवेश (रु० करोड़)	रोजगार (संख्या)
1.	उत्तर प्रदेश निजी (ग्रेटर नोएडा खुर्जा) आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (02 मई 2024)	2.8	88
2.	हरियाणा अनुमोदन समिति (02 मई 2024)	124.5	2541
3.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (15 मई 2024)	4.9	12
4.	महिंद्रा अनुमोदन समिति (17 मई 2024)	5.1	400
5.	सीतापुरा अनुमोदन समिति (17 मई 2024)	3.8	835
6.	निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) अनुमोदन समिति (20 मई 2024)	—	—
7.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (27 मई 2024)	—	—
क्रमांक	जून 2024	निवेश (रु० करोड़)	रोजगार (संख्या)
1.	पंजाब/चंडीगढ़ अनुमोदन समिति (3 जून 2024)		
2.	हरियाणा अनुमोदन समिति (6 जून 2024)	62.2	504
3.	उत्तर प्रदेश निजी (ग्रेटर नोएडा खुर्जा) आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (6 जून 2024)	0.3	41
4.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (13 जून 2024)	3.7	51
5.	सीतापुरा अनुमोदन समिति (21 जून 2024)	3.0	72
6.	महिंद्रा अनुमोदन समिति (21 जून 2024)		
7.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति (24 जून 2024)		
कुल योग :		259.7	5076

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) एक बहुपक्षीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के लिए वैश्विक नियम निर्धारित करता है। संगठन के 166 सदस्य हैं जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी से 1 मार्च, 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबू धाबी में आयोजित किया गया था। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हर दो साल में एक बार आयोजित किया जाता है और यह संगठन में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।



वैश्विक व्यापार में इसके आर्थिक महत्व को देखते हुए भारत इस संगठन का एक प्रमुख सदस्य रहा है। यह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में आवश्यक विकास परिप्रेक्ष्य को सामने रखता रहा है जिसे दोहा विकास कार्यसूची का आधार माना जाता था। इसने विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए पद संभालने की अपनी जिम्मेदारी से परहेज नहीं किया है। इसके लिए राजनेता कौशल और विकसित देशों द्वारा डाले गए भारी दबाव को झेलने की क्षमता की आवश्यकता है।



13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कई मुद्दे चर्चा के लिए आये और भारत विकासशील देशों की स्थिति को स्पष्ट करने में कामयाब रहा। प्रमुख मुद्दे कृषि, मत्स्य पालन, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, बौद्धिक संपदा, अल्प विकसित देश (एलडीसी), निवेश सुविधा आदि पर थे। हालाँकि, केवल ई-कॉमर्स अधिस्थगन और ट्रिप्स छूट पर एक समझौता था। कैमरून में अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के मद्देनजर अन्य मुद्दों पर जिनेवा में वार्ता समितियों में काम किया जाएगा।

माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारत ने विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में परिणाम सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की वार्ता दल में वाणिज्य सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के राजदूत और वाणिज्य विभाग (टीएनएम डिवीजन) के साथ-साथ भारत के स्थायी मिशन के अधिकारी शामिल थे। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अध्ययन केंद्र, जो कि प्रबुद्ध मंडल है, ने इस वार्ता टीम का समर्थन किया।

वार्ता के दौरान जिन प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई उनमें से कुछ निम्नलिखित थे:

कृषि

जहां तक विकास के आयाम का सवाल है यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारत और उसका गठबंधन जिसे जी-33 कहा जाता है, खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर एक परिणाम पर बातचीत कर रहे थे। हालाँकि, विडंबना यह है कि उन देशों ने इसका काफी विरोध किया जो सबसे अधिक सब्सिडी प्रदान करते हैं। मुख्य मुद्दा भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जैसे प्रशासित मूल्य तंत्र के मामले में सब्सिडी की गणना में इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति थी। कृषि पर समझौते के हिस्से के रूप में प्रशासित मूल्य को ऐतिहासिक मूल्य (1986-88 का औसत) के विरुद्ध बेंचमार्क किया गया है। हालाँकि, खाद्य मुद्रास्फीति के कारण, कृत्रिम रूप से गणना किया गया यह सब्सिडी स्तर उच्च हो जाता है और न्यूनतम स्तर का उल्लंघन करता है। यह त्रुटिपूर्ण गणना पद्धति ही है जो भारत जैसे विकासशील देशों की एमएसपी रखने में असमर्थता के मूल में है। हालाँकि, चूंकि बाली में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान शांति खंड पर बातचीत हुई थी, इसलिए कोई भी किसी देश को इस पर विवाद में नहीं ले जा सकता। आश्चर्य की बात नहीं कि दुनिया भर के सब्सिडी दाताओं ने इस मुद्दे पर किसी भी स्थायी समाधान पर आपत्ति जताई।

सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम

- खाद्य सुरक्षा और घरेलू खाद्य सहायता के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग तकनीकी रूप से हरे पेटी में है
- हालाँकि, यदि खाद्य प्रशासित कीमतों (भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीदा जाता है, तो सब्सिडी घटक को अधिसूचित किया जाना चाहिए
- हालाँकि, यदि खाद्य प्रशासित कीमतों (भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीदा जाता है, तो सब्सिडी घटक को अधिसूचित किया जाना चाहिए
- बाजार मूल्य समर्थन की गणना एक निश्चित बाहरी संदर्भ मूल्य और लागू प्रशासित मूल्य के बीच के अंतर को लागू प्रशासित मूल्य प्राप्त करने के लिए योग्य उत्पादन की मात्रा से गुणा करके की जाती है।

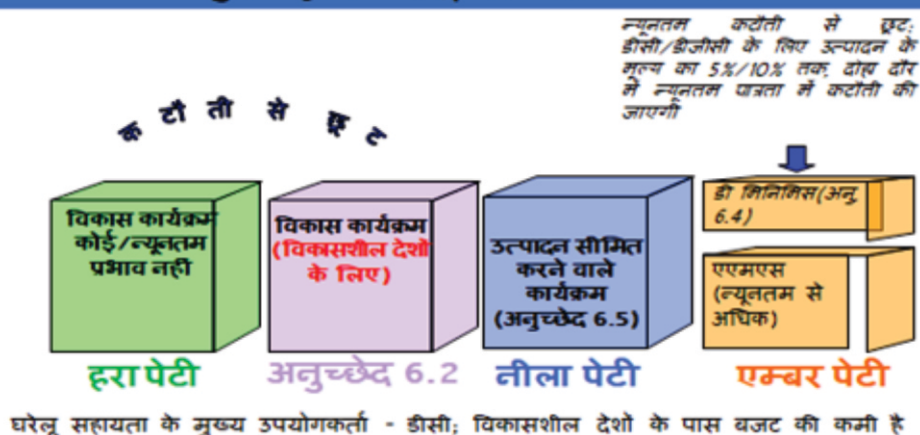
$$\text{एमपीएस} = (\text{एएपी-ईआरपी}) \times \text{क्यू}$$

कहाँ,

- 'एमपीएस' बाजार मूल्य समर्थन है
- 'एएपी' अनुपयुक्त प्रशासित मूल्य है
- ईआरपी बाहरी संदर्भ मूल्य है (वर्ष 1986-88 के लिए)
- 'क्यू' लागू प्रशासित मूल्य प्राप्त करने के लिए योग्य उत्पादन की मात्रा है

इसके अलावा, यह ध्यान रखना उचित है कि कृषि पर समझौता संभवतः सबसे विषम समझौतों में से एक है क्योंकि अधिकांश विकसित देश अपने मौजूदा सब्सिडी कार्यक्रमों को अलग करने के लिए बातचीत करने में कामयाब रहे। ये हरे बॉक्स और नीले बॉक्स का हिस्सा हैं, बाद वाले वे हैं जहां उत्पादन को सीमित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। हालाँकि, कुछ विकसित देशों ने अपने सब्सिडी कार्यक्रमों में सुधार किया है, वे इन्हें क्रमशः स्वीकार्य हरे और नीले बॉक्स में रखने में सक्षम हैं।

कुल कृषि घरेलू सहायता: "पेटियाँ"



खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के मुद्दे के अलावा, घरेलू समर्थन, बाजार पहुंच, निर्यात निषेध/प्रतिबंध/प्रतिस्पर्धा और कपास के क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई। घरेलू समर्थन और बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों पर यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे विकसित देशों के बीच भी मतभेद थे। इसलिए, कोई समझौता नहीं हो सका और यह महत्वपूर्ण स्तंभ इस मंत्रिस्तरीय बैठक में अनिर्णायक रहा।

मत्स्य पालन सब्सिडी

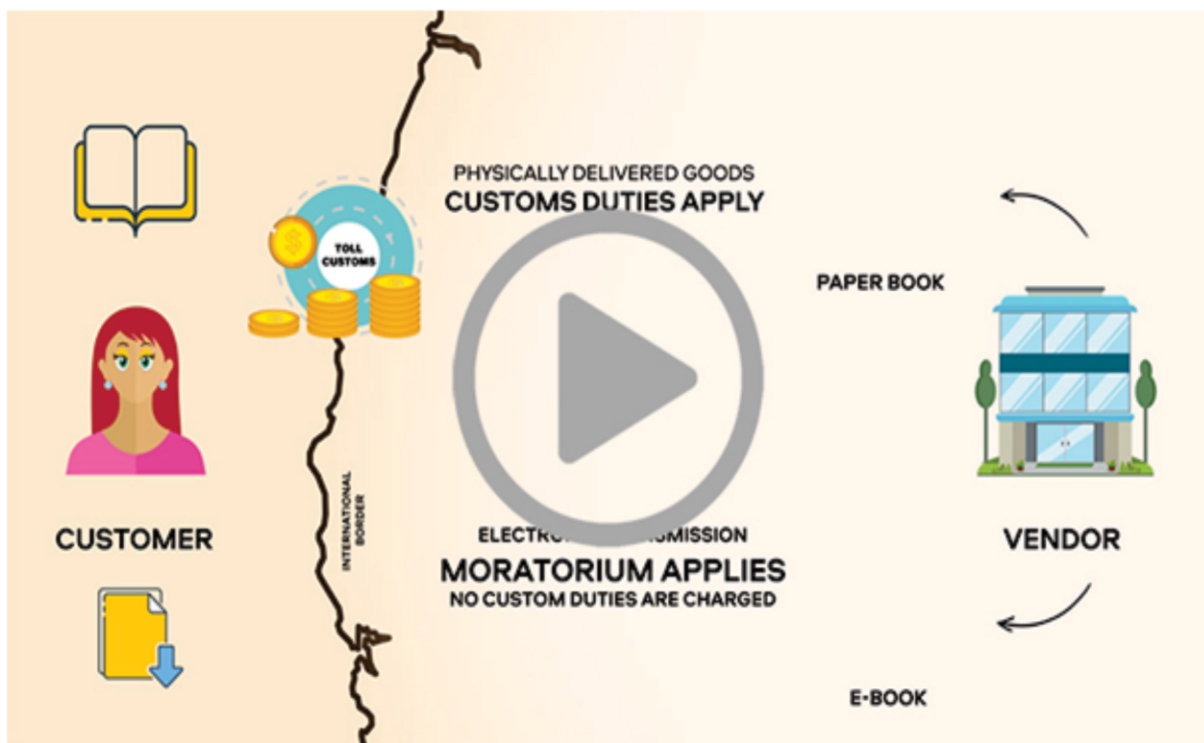
जून 2022 में हुए समझौते में समझौते के दो स्तंभों को शामिल किया गया, अर्थात् अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ना और अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ना। यह समझौता क्षेत्राधिकार के बाहर मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी पर भी रोक लगाता है। समझौते में विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के उपाय हैं। लाभ प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों के लिए अधिसूचना और पारदर्शिता आवश्यकताएँ मौजूद हैं। आपदा राहत के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए अवसर की एक खिड़की मौजूद है। अंत में, यह कहा गया है कि समझौते के चार वर्षों के भीतर व्यापक विषयों को विकसित करने की आवश्यकता है अन्यथा इसे समाप्त कर दिया जाएगा।

एमसी13 में उद्देश्य अत्यधिक क्षमता और अत्यधिक मछली पकड़ने के तीसरे स्तंभ को देखना था। हालाँकि, मतभेद के प्रमुख क्षेत्र उच्च समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और कारीगर मत्स्य पालन के लिए विशेष और विभेदक उपचार की अपर्याप्तता थे। कई विकसित देश गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी प्रदान करते हैं और इस पर कोई अनुशासन नहीं चाहते हैं। यहां तक कि चीन जैसे देशों के पास भी गहरे समुद्र में अपने बेड़े हैं, जहां उनके कर्मचारी तैनात रहते हैं। कारीगर मत्स्य पालन पर, ये उन मछुआरों से संबंधित हैं जो आजीविका के साधन हैं और मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। इसलिए सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए उन्हें पर्याप्त समयावधि प्रदान करना महत्वपूर्ण है। बड़े मछली पकड़ने वाले देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर भी, विषय पर चर्चा की गई और आगे की बातचीत के लिए इसे लिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स

इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर 1997 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का एक कार्य कार्यक्रम था। ऐसे कई क्षेत्र थे जिन पर चार मंचों पर बातचीत होनी थी। हालाँकि, इसमें बहुत कम प्रगति हुई और यह मंत्रिस्तरीय अगले मंत्रिस्तरीय तक समय सीमा के साथ काम जारी रखना

चाहता है। ई-कॉमर्स अधिस्थगन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क लगाने के बारे में है। हालाँकि स्थगन की सटीक प्रकृति पर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन एक सामान्य समझ है कि यह इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों या पत्रिकाओं से संबंधित है। कुछ अध्ययनों ने राजस्व हानि की मात्रा का संकेत दिया है, हालांकि यह भी एक तथ्य है कि देश ऐसे ट्रांसमिशन पर कोई शुल्क नहीं लगाते हैं या लगाने की कोई ठोस योजना नहीं है। मंत्री इस रोक को बढ़ाने पर सहमत हुए।



ट्रिप्स

ट्रिप्स विश्व व्यापार संगठन में बौद्धिक संपदा से संबंधित समझौता है। मंत्रिस्तरीय बैठक में उठाए गए मुद्दों में से एक गैर-उल्लंघन और स्थितिजन्य शिकायतों का था। ये ऐसी शिकायतें हैं जो ट्रिप्स के कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती हैं लेकिन व्यापार में बाधाएं पैदा करने के अर्थ में समझौते की भावना के खिलाफ हैं। इसे हमेशा ई-कॉमर्स अधिस्थगन से जोड़ा गया है और यहां तक कि इस मंत्रिस्तरीय बैठक में भी यह निर्णय लिया गया कि सदस्य ऐसी शिकायतें शुरू नहीं करेंगे।

बहुपक्षीय समझौते

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण के कारण धीमी प्रगति के कारण, कुछ देशों ने बहुपक्षीय समझौतों पर विचार करने का निर्णय लिया। इन समझौतों में देशों का एक समूह किसी सामान्य मुद्दे पर एक साथ आता है और सदस्यता बढ़ाने का प्रयास करता है। इन्हें संयुक्त वक्तव्य पहल या जेएसआई के रूप में संदर्भित किया गया था और इसमें घरेलू विनियमन, एमएसएमई, लिंग, स्थिरता, निवेश सुविधा आदि जैसे कई क्षेत्रों को शामिल किया गया था।

13वीं मंत्रिशास्त्रीय बैठक के दौरान बहुप्रतीक्षित बैठकों में एक निवेश सुविधा थी। भारत ने पुरातनपंथी के रूप में इसका विरोध किया क्योंकि इस समूह को ऐसे सामान्य उत्साह को उठाने की हिस्सेदारी के आधार पर संगठन के बहुपक्षीय निर्णय को प्रभावित करना पड़ा, जिससे बड़े पैमाने पर समर्थन प्राप्त होगा। निवेश इकाई को लगभग 123 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था और चिली तथा कोरिया इस प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे थे।

मंत्रिस्तरीय बैठक में उल्लेखित कुछ अन्य बहुपक्षीय समझौते प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्लास्टिक व्यापार (डीपीपी) से संबंधित थे, जिन्हें 78 सदस्यों व्यापार और पर्यावरणीय स्थिरता संरचित चर्चाएँ (TESSD) का समर्थन प्राप्त था; जिसे कनाडा और कोस्टा रिका के समन्वयक 48 सदस्यों के साथ जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधार (एफएफएसआर); और 72 सदस्यों के साथ सेवा घरेलू विनियमन में अच्छे नियामक अभ्यास का कार्यान्वयन के साथ 76 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था।

निष्कर्षतः, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) वार्ता निश्चित रूप से धीमी हो गई है। हालाँकि, यह संभावना है कि बातचीत इसी गति से जारी रहेगी और प्रत्येक मंत्रिस्तरीय वार्ता के नतीजे केवल कमजोर ही होंगे। कुछ देश स्थिरता, पर्यावरण, श्रम, जलवायु परिवर्तन, लिंग आदि जैसे गैर-व्यापार मुद्दों को कार्यसूची का हिस्सा बनाने पर जोर देते रहेंगे। इन्हें विकासशील देशों से निर्यात के विरुद्ध बाधाएँ खड़ी करने के उपकरण के रूप में बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। धीमी प्रगति के बावजूद भारत बहुपक्षीय प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। यह हमेशा संतुलित, समतापूर्ण और विकासोन्मुख परिणाम के लिए खड़ा रहा है।

भारत ईएफटीए व्यापार समझौता

भारत और ईएफटीए ने 10 मार्च, 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। ईएफटीए चार देशों आइसलैंड, लिकटेन्स्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का समूह है। वार्ता अक्टूबर, 2008 में शुरू हुई और दिसंबर, 2019 में निष्क्रियता के चरण में चली गई। अगस्त 2023 में 19वें दौर की वार्ता के साथ इसे पुनर्जीवित किया गया और अगले आठ महीनों की अवधि में इसका समापन हुआ। हालाँकि, इसे लागू करने के लिए अब दोनों पक्षों को इसका अनुमोदन करना होगा।



हस्ताक्षर समारोह में, भारत के माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदु फार्मास्यूटिकल्स, अनुसंधान और विकास, प्रसंस्कृत खाद्य, हरित ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों के लिए समझौते द्वारा प्रदान किए गए अपार अवसरों के बारे में थे। मशीनरी आदि, माननीय स्विस मंत्री श्री गाइ पार्मेलिन ने विविधता और मतभेदों का सम्मान करने की

आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने संकेत दिया कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं और समग्र परिणाम न्यायसंगत हैं। आइसलैंड के माननीय मंत्री श्री बजरनी बेनेडिक्टसन ने कहा कि टीईपीए दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। लिकटेंस्टीन की माननीय मंत्री सुश्री डोमिनिक हस्लर ने अपने देश में नवीन कंपनियों की उपस्थिति के बारे में बात की जो भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग कर सकती हैं। अंत में, नॉर्वे के माननीय मंत्री श्री जान क्रिश्चियन वेस्ट्रे ने संकेत दिया कि यह समझौता निवेश और सेवाओं की पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करेगा। यह बताते हुए कि नॉर्वे द्वारा निवेश का मौजूदा स्तर 25 अरब डॉलर है, समझौते के परिणामस्वरूप इसमें वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी बताया कि निवेश करने की इच्छुक कंपनियों की सहायता के लिए भारत में एक ईएफटीए कार्यालय खोला जाएगा।



यह समझौता वास्तव में ईएफटीए और भारत के बीच आर्थिक संबंधों के लिए एक मील का पत्थर है। यह पश्चिमी गोलार्ध में विकसित देशों के साथ पहला व्यापार समझौता होगा और अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ाव का द्वार खोलेगा। जबकि भारत कृषि उत्पादों और वस्त्रों

के निर्यात के अवसरों का लाभ उठा सकता है, कई कंपनियां यूरोपीय संघ जैसे आसपास के बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए सहयोग कर सकती हैं। ईएफटीए देशों के लिए, भारत में निवेश करने और बाजार पहुंच हासिल करने का अवसर है। कुछ संभावित क्षेत्र जहां दोनों साझेदार लाभान्वित होंगे, वे बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स हैं। रसायन, मशीनरी, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ, बीमा आदि इसके अलावा, ईएफटीए ने अगले 15 वर्षों में लगभग 100 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्रतिबद्ध किया है। इसके अलावा, ईएफटीए ने अगले 15 वर्षों में लगभग 100 बिलियन डॉलर का एफडीआई लाने का वादा किया है। प्रस्तावित निवेश और बढ़े हुए व्यापार से लगभग 10 लाख अतिरिक्त नौकरियाँ पैदा होंगी। यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान करेगा और देश में तकनीकी उन्नयन के लिए सुविधाएं भी तैयार करेगा।



नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र ओरिजिन ट्रेक के नियमों पर इन वार्ताओं में शामिल होने से खुश था। पदों में मूलभूत अंतर को देखते हुए बातचीत कठिन थी। हालाँकि, दोनों पक्ष एक समझौते पर मुहर लगाने के लिए अपनी मौजूदा स्थिति से आगे बढ़ गए, जो यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी टैरिफ रियायत का लाभ उठाने के लिए दोनों अर्थव्यवस्थाओं में पर्याप्त प्रसंस्करण हो।

उत्पाद विशिष्ट नियमों (पीएसआर) के संबंध में, यह अधिकांश कच्चे कृषि उत्पादों के लिए पूर्ण रूप से प्राप्त किया जाता है। प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के लिए, यह या तो टैरिफ वर्गीकरण (सीटीसी) में बदलाव और मूल्यवर्धन या केवल सीटीसी का मिश्रण है। औद्योगिक वस्तुओं के लिए, यह काफी हद तक सीटीसी और मूल्यवर्धन, सह-समान नियमों के साथ-साथ सीटीसी का मिश्रण है। नियमों का उद्देश्य पर्याप्त प्रसंस्करण मानदंड और व्यापार सुविधा के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित करना है।

इस व्यापार समझौते के ओरिजिनट्रैक के नियमों में कुछ प्रमुख अवधारणाएँ 10% की न्यूनतम सीमा हैं; अपर्याप्त कामकाज या प्रसंस्करण जो स्वयं मूल स्थिति प्रदान नहीं करेगा पारगमन के लिए लचीलापन लेकिन उचित दस्तावेजीकरण के साथ; उपयोग किए गए इनपुट आदि के लिए मूल प्रदान करने के लिए रोल-अप या अवशोषण प्रमाणन पर, भारत ने अपने निर्यातकों के लिए स्व-प्रमाणन की अवधारणा पेश की थी।



इससे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम हो जाएगा। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां वे नियमों के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से प्रमाणन का विकल्प भी

मौजूद है। इन दोनों मूल प्रमाण पत्र का एक विशिष्ट प्रारूप है जिसे निर्यातकों को भरना और हस्ताक्षर करना होता है। यह सब डीजीएफटी के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा जिसमें निर्यातकों को पंजीकृत होना होगा।

समझौते के लिए सत्यापन प्रक्रियाएँ मजबूत हैं। उत्पत्ति के सभी प्रमाणों के लिए एक प्रमाणीकरण तंत्र है। इसके अलावा, प्रक्रिया के लिए समय-सीमाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि सत्यापन शीघ्रता से किया जाए। इसके अलावा, आयात करने वाले देशों के सीमा शुल्क प्राधिकरण को उल्लंघन के मामले में टैरिफ रियायतों को निलंबित करने का अधिकार है। बार-बार उल्लंघन की स्थिति में विशिष्ट निर्यातकों और यहां तक कि उत्पादों के लिए रियायतों का अस्थायी निलंबन संभव है।

समझौते के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) सहित भारतीय निर्यातकों को कुछ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

- I. निर्यात किए जा रहे उत्पाद की उत्पत्ति के नियम जानें
 - II. सुनिश्चित करें कि उत्पादन प्रक्रिया की मूल्य श्रृंखला के बारे में पर्याप्त जानकारी हो।
 - III. स्व-प्रमाणित केवल तभी करें जब आपके पास सभी दस्तावेज हों और निर्यात किए जा रहे उत्पाद की उत्पत्ति के नियमों के बारे में निश्चित हों।
 - IV. यह न मानें कि यदि कोई उत्पाद घरेलू बाजार से प्राप्त किया गया है, तो वह भारतीय मूल का है। पूरी तरह से प्राप्त मानदंडों का उपयोग केवल तभी करें जब कोई पूरी तरह से आश्वस्त हो कि पूरी उत्पादन प्रक्रिया भारत में हुई है। इस संदर्भ में, पूरी तरह से प्राप्त मतलब क्या है, इसके नियमों को पढ़ना महत्वपूर्ण है।
 - V. डीजीएफटी के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर करें
 - VI. उत्पाद की उत्पत्ति के नियमों की पुष्टि के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र का कार्यालय निर्यातकों की किसी भी मदद के लिए तैयार रहेगा।
- कृपया बेझिझक dc@nsez.gov.in; jdc@nsez.gov.in; ddc1@nsez.gov.in; या ddc3@nsez.gov.in पर संपर्क करें।

माननीय राज्य मंत्री का नोएडा एसईजेड का दौरा



माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने दिनांक 17.8.2024 को नोएडा एसईजेड का दौरा किया।



माननीय मंत्री को कार्यालय द्वारा दिए गए एक प्रेजेंटेशन में नोएडा एसईजेड के बारे में जानकारी दी गई। इसमें निर्यात प्रदर्शन, उत्पन्न आर्थिक गतिविधि, क्षेत्र द्वारा की गई विभिन्न पहल और बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से चल रही निर्माण गतिविधियों जैसे प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि उत्तर प्रदेश में और अधिक एसईजेड की खोज करने के साथ-साथ मौजूदा एसईजेड में बुनियादी ढांचे में सुधार करने के अवसर मौजूद हैं। नोएडा एसईजेड के कार्यालय ने इस क्षेत्र में एक कौशल विकास केंद्र की उपस्थिति का भी संकेत दिया, जो एआई और रोबोटिक्स से संबंधित प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहला केंद्र है।



सहरसा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा माननीय मंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति भी दी गई। इकाई ने अपनी गतिविधियों पर प्रकाश डाला और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए एक स्मृति चिन्ह भेंट किया।

माननीय मंत्री को वाणिज्य विभाग द्वारा एसईजेड नियमों में बदलाव के लिए प्रस्तावित संशोधनों के बारे में भी बताया गया। बताया गया कि इनसे आर्थिक परिदृश्य और एसईजेड की मांग में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।

अंत में माननीय राज्य मंत्री ने प्रस्तुत प्रस्तुति पर ध्यान दिया। तत्पश्चात ई.पी.सी.ई.एस. अधिकारियों ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

.....

निर्यातक जागरूकता कार्यक्रम

13 अगस्त, 2024 पीलीभीत, उत्तर प्रदेश

वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के कार्यालय ने 13 अगस्त, 2024 को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में निर्यातक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और क्षेत्र में निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में भारत के निर्यात विकास में योगदान देने में स्थानीय उद्योगों के लिए चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया।

प्राथमिक चर्चाओं में से एक 2030 तक निर्यात में 2 खरब डॉलर तक पहुँचने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर केंद्रित थी, जिसमें सेवा और व्यापारिक दोनों क्षेत्रों से संतुलित योगदान शामिल है। उत्तर प्रदेश, जिसका अपना निर्यात लक्ष्य 2028 निर्धारित किया गया है, को इस राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में पहचाना गया। विशेष रूप से पीलीभीत और बरेली क्षेत्रों को महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उजागर किया गया, जहाँ कांच के बने पदार्थ, चूड़ियाँ और चमड़े के सामान जैसे छोटे पैमाने के उद्योगों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। स्थानीय निर्यातकों को डिजिटल बनाने और वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए जोर दिया गया, साथ ही विदेश व्यापार महानिदेशालय के नेतृत्व में जिलों को निर्यात हब (DEH) पहल के तहत स्थानीय उत्पादों की पहचान करने और उनका समर्थन करने के महत्व पर भी जोर दिया गया।

उत्तर प्रदेश में निर्यात की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि 2017 से 2023 तक राज्य का निर्यात लगभग दोगुना हो गया है। हालांकि, विभिन्न योजनाओं और सहायता प्रणालियों के बारे में निर्यातकों के बीच जागरूकता की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। उदाहरण के लिए, निर्यात संवर्धन ब्यूरो की पहल, जैसे कि बाजार विकास योजना, सीमित जानकारी के कारण कम उपयोग की जाती है। सफलता का एक उदाहरण दिया गया जहाँ केवल दस दिनों में दुबई को सब्जियां निर्यात की गईं, जो आवश्यक तेलों और बासमती चावल सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विस्तार की क्षमता को प्रदर्शित करता है।



माननीय राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने कहा कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत ने निर्यात में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन उत्तर प्रदेश को अभी भी उससे आगे निकलने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। उन्होंने बताया कि बनारस जैसे शहर, जो साड़ी निर्यात के लिए जाने जाते हैं, और कानपुर, जो चमड़े के सामान के लिए जाने जाते हैं, राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए बेंचमार्क के रूप में काम करते हैं। मंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) पहल को और विकसित करने के महत्व पर भी जोर दिया, और कहा कि इस क्षेत्र में अभी भी बहुत काम



किया जाना बाकी है। इसके अलावा, उन्होंने राज्य से सॉफ्टवेयर निर्यात करने में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया, एक ऐसा क्षेत्र जिस पर ध्यान केंद्रित करने और विकास की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के दौरान, आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) के लिए पुनः केवाईसी के मुद्दों और अधिक उत्तरदायी हेल्पलाइन प्रणाली की आवश्यकता सहित कई प्रणालीगत समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें वर्तमान में आवश्यक मानवीय स्पर्श का अभाव है। प्राकृतिक पुदीना उद्योग पर कृत्रिम मेंथॉल के प्रभाव और जीएसटी विभाग से मैन्युअल वापसी के कारण होने वाले वित्तीय तनाव के बारे में चिंता व्यक्त की गई, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर निर्माताओं के लिए नकदी प्रवाह की समस्याएँ होती हैं। कुछ उत्पादों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया, जिन्हें विदेश में आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे निर्यातकों के लिए जटिलता और लागत बढ़ जाती है।

मसाला क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें मसालों के अग्रणी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। गुणवत्ता नियंत्रण के महत्व, विशेष रूप से कृत्रिम विकल्पों के साथ पुदीना उत्पादों की मिलावट के संबंध में, निर्यात विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उजागर किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय मसाला उद्योग में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, जिसमें पुदीना की खेती पर विशेष जोर दिया गया है, जो राज्य में उत्पादन के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करता है।

चर्चाओं में भारत के निर्यात वृद्धि के व्यापक रुझानों को भी शामिल किया गया, जिसमें वित्त वर्ष 2016 में \$435 अरब से वित्त वर्ष 2023 में \$760 अरब तक की पर्याप्त वृद्धि देखी गई। हालाँकि, बरेली प्रभाग, जिसमें बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहाँपुर जिले शामिल हैं, ने हाल के वर्षों में निर्यात में भारी गिरावट देखी है। उदाहरण के लिए, पीलीभीत, जो अपने बांसुरी बनाने वाले उद्योग के लिए जाना जाता है, जो भारत के बांसुरी उत्पादन का 95 प्रतिशत हिस्सा है, ने अपने निर्यात संख्या में कमी देखी है। नेपाल सीमा के पास अपने रणनीतिक स्थान के बावजूद, जो व्यापार लाभ प्रदान करता है, जिले के कुल निर्यात ने उम्मीदों के अनुरूप गति नहीं रखी है। बरेली, बदायूं और शाहजहाँपुर जिलों में भी यही प्रवृत्ति देखी गई, जिनमें से प्रत्येक को अपने निर्यात उत्पादन को बनाए रखने और बढ़ाने में अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, डीईएच पहल को जमीनी स्तर पर निर्यात संवर्धन, विनिर्माण और रोजगार सृजन को लक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में चर्चा की गई। इस पहल ने प्रत्येक जिले से विशिष्ट उत्पादों की पहचान की है, जिनमें निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, बरेली अपनी जरी और जरदोजी कढ़ाई के लिए जाना जाता है, जबकि पीलीभीत अपने चावल और बांसुरी उत्पादन के लिए जाना जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक जिले में पहचाने गए उत्पादों के लिए विशिष्ट जानकारी और सहायता प्रदान करके स्थानीय उद्योगों की सहायता करना है।



इसके अतिरिक्त, निर्यात को बढ़ाने में ई-कॉमर्स की भूमिका का पता लगाया गया, जिसमें ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना एक प्रमुख रणनीति थी। भंडारणसुविधाओं के साथ निर्दिष्ट ई-कॉमर्स हब की स्थापना से सीमा शुल्क निकासी और रिटर्न सहित निर्यात की सुचारु प्रक्रिया में सहायता मिलने की उम्मीद है। मार्किंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और परीक्षण जैसे कार्यों के लिए अंतिम-मील प्रसंस्करण सुविधाओं की शुरुआत से निर्यात संचालन को सुव्यवस्थित करने की भी उम्मीद है।

इंडिया पोस्ट जैसी अन्य प्रमुख संस्थाएँ अपने डाक घर निर्यात केंद्रों (DNK) के माध्यम से, विशेष रूप से ग्रामीण कारीगरों, एमएसएमई और ओडीओपी विक्रेताओं के लिए निर्यात को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। डाक घर निर्यात केंद्र निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, एक डिजिटल और कम लागत वाली संरचना प्रदान करते हैं, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित किए गए हैं।

अंत में, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भाग लेने में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों पर, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी अंतराल, कौशल की कमी और वित्त तक पहुंच के संदर्भपर चर्चा की गई। एकिजम बैंक के उभरते सितारे कार्यक्रम (यूएसपी) को उच्च निर्यात क्षमता वाले एमएसएमई की पहचान करने और उन्हें समर्थन देने में एक मूल्यवान पहल के रूप में उजागर किया गया, जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद करने के लिए वित्तीय और सलाहकार दोनों सेवाएं प्रदान करता है।

निष्कर्ष के तौर पर, पीलीभीत में डीजीएफटी निर्यातकों के जागरूकता कार्यक्रम ने उत्तर प्रदेश की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए रणनीतिक पहल और समन्वित प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया। प्रणालीगत मुद्दों को हल करने, सहायता योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय उद्योगों की ताकत का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, राज्य आने वाले वर्षों में भारत के निर्यात लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है।



इस जागरूकता कार्यक्रम में मुरादाबाद एसईजेड और नोएडा एसईजेड के अधिकारियों ने भी भाग लिया। इसका उद्देश्य मुरादाबाद और नोएडा दोनों में एसईजेड इकाइयों की स्थापना के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करना था। इस संदर्भ में, हितधारकों के साथ एक-एक बैठक आयोजित की गई और एक पृष्ठ का फ्लायर वितरित किया गया। अधिकारियों ने क्षेत्र से संभावित निर्यात उत्पादों के विभिन्न स्टॉल का भी दौरा किया। इन फ्लायर्स में एसईजेड के कुछ प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला गया, जिनमें बुनियादी ढांचा सुविधाएं, एक सुविधाजनक दृष्टिकोण के साथ इनहाउस सीमा शुल्क निकासी, ऑनलाइन अनुमोदन, इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात और खरीद और इन क्षेत्रों के प्रदर्शन प्राचल (पैरामीटर) शामिल थे।



30-31 अगस्त, 2024 को हैदराबाद में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) बैठकें



वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल की अध्यक्षता में निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की अनुमोदन बोर्ड की बैठक 30.8.2024 को हैदराबाद में आयोजित की गई।



बीओए के बाद हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया, जिसका आयोजन विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और ईओयू (ईपीसीईएस) के लिए निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया। विचार-विमर्श में चिंता के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नियमों में संभावित बदलावों पर भी चर्चा हुई।



30.8.2024 को अमेजन इंडिया के वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) का दौरा किया गया। इसमें लगभग 17 कार्य क्षेत्र के साथ अमेजन इंडिया के संचालन के पैमाने पर प्रकाश डाला गया।

31.8.24 को टाटा एयरोस्पेस सर्विसेज लिमिटेड (टीएएसएल) और जीएमआर की सुविधाओं का भी फील्ड दौरा किया गया।

.....

भारत में डिजिटल क्रांति



डिजिटल क्रांति तीसरी औद्योगिक क्रांति के रूप में भी जानी जाती है प्रौद्योगिकी का विकास प्रगति की आधारशिला रहा

है और इसने सदियों से समाज के कार्य करने के तरीके को बदल दिया है। तकनीकी आविष्कारों ने मानव श्रम को कम करके, और दक्षता, उत्पादकता में बढोतरी करके समाज के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है।

चाहे शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी की शुरुआत हो या संचार माध्यम और सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वचालित उपकरण समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रौद्योगिकी के आनेसे बढ़ावा मिलता है।

भारत जैसे देश के लिए जहां समृद्ध पारंपरिक विरासत का अनूठा मिश्रण है और



सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ सबसे तेजी से बढ़ती

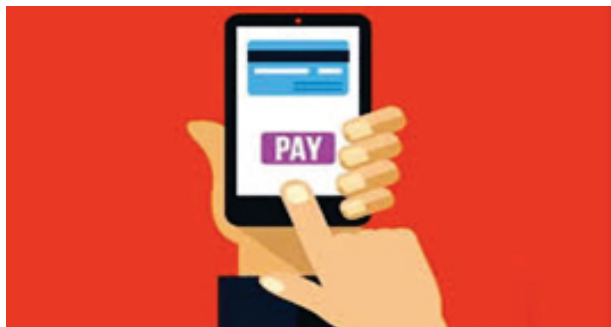
Digital India
Power To Empower

अर्थव्यवस्थाओं में से एक है;

यह तकनीकी क्रांति के साथ समाज का चेहरा बदलने का अच्छा समय है। जबकि देश ने स्वतंत्रता के बाद कई दशकों में विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी आविष्कारों के कार्यान्वयन को देखा है, वर्तमान सरकार ने



न केवल देश में डिजिटल क्रांति की प्रक्रिया को गति देने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है बल्कि डिजिटल विभाजन को पाटने की पहल भी की है। देशमें पिछले तीन वर्षों में न केवल डिजिटल तकनीकों की खोज, कार्यान्वयन और उपयोग में तेजी देखी गई है, बल्कि देश में डिजिटलीकरण और इसके लाभों को जमीनी स्तर पर और विशेष रूप से समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों तक ले जाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया



है।

भारत में डिजिटल क्रांति का विशेष स्थान है क्योंकि यह समाज के लगभग सभी क्षेत्रों में बहु-आयामी कायापलट लाने की भरोसा प्रदान करती है। शासन में डिजिटलीकरण से लेकर बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक सेवाओं तक, नकदीहीन अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेनदेन, नौकरशाही में पारदर्शिता, कल्याणकारी योजनाओं का उचित और त्वरित वितरण, सभी वर्तमान सरकार की डिजिटल इंडिया पहल से प्राप्त किए जा सकते हैं।



पिछले तीन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की पहलों पर एक नजर डालने से

पता चलता है कि भारत में डिजिटल क्रांति न केवल समाज के कामकाज के तरीके को बदल रही है बल्कि देश के अमीरों और वंचितों के बीच की खाई को भी पाट रही है।



किसी भी समाज में शिक्षा की गुणवत्ता समाज के ताने-बाने की आधारशिला होती है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, डिजिटल इंडिया पहल समाज में शिक्षा के प्रसार में सुधार के लिए कई डिजिटल सेवाओं को एकजुटता के साथ रखती है। प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो या उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं, इस क्षेत्र की विभिन्न डिजिटल योजनाएं देश में शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में कई योजनाएं हैं, जैसे 'स्वयं' योजना छात्रों को कक्षा में नौवीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती है, जिसे किसी भी समय, कहीं भी किसी के द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है। यह डिजिटल योजना न केवल कई

छात्रों के लिए शिक्षा लाती है, बल्कि इसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटना भी है, क्योंकि जो छात्र मुख्यधारा या औपचारिक शिक्षा में शामिल नहीं हो सकते, वे इस आवेदन का उपयोग कर सकते हैं। एक अन्य डिजिटल योजना 'ईपाठशाला' है जो वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी शैक्षिक सामग्री का प्रसार करती है।



'मिड-डे मील निगरानी ऐप', 'शाला सीधी' और 'शाला दर्पण' जैसी योजनाएं हैं जो स्कूल प्रशासन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती हैं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों का मूल्यांकन करती हैं। अनुसंधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए ओलैक्स डिजिटल योजना है। ओलैक्स जो स्कूल प्रयोगशाला प्रयोगों के लिए ऑनलाइन प्रयोगशाला है, जो छात्रों को संजाल अथवा इंटरनेट पर प्रयोग करने में आसानी प्रदान करता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के पास

'नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल', 'ईग्रंथाल्या', 'नेशनल नॉलेज नेटवर्क' आदि हैं। ये डिजिटल पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की ओर देखती हैं, बल्कि शिक्षा को वंचितों तक पहुंचाने में भी मदद कर रही हैं, इस प्रकार डिजिटल क्रांति का उपयोग शिक्षा के पास और वंचितों के बीच की खाई को पाटने के लिए किया जा रहा है। जबकि शिक्षा विभाग समाज के ताने-बाने का निर्माण करता है, स्वास्थ्य सेवा एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य वाले समाज के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण विभाग है।

स्वास्थ्य विभाग सरकार की विभिन्न डिजिटल पहलों में शामिल हैं— 'डिजिटल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान' एक ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य "भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण" यूआईडीएआई और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बीच एक प्रभावी संबंध बनाना है, ई-अस्पताल योजना जो एक मुक्त स्रोत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली है, एमरक्तकोश एक वेब आधारित तंत्र जो राज्य के सभी रक्त बैंकों को एक ही संजाल में जोड़ता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा वर्तमान सरकार ने शासन को डिजिटल बनाने के लिए भी कई पहल की हैं। उदाहरण के लिए, 'उमंग' का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक स्थान पर समाधान

लाना है, ई-पंचायत, ई-जिला, ई-ऑफिस देश में शासन और प्रशासन को डिजिटाइज करने के लिए कुछ सेवाएँ हैं। इनके अलावा 'ईसीआई-ईवीएम निगरानी सेवाएं' भी शासन में पारदर्शिता ला रही हैं। आधार योजना और भीम ऐप भी अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।



भारत के विशेषता के लिए अद्वितीय कृषि क्षेत्र है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल भी किसान हित में कई योजनाओं को साबित कर रही है। कृषि क्षेत्र की कुछ योजनाओं में एम किसान किसान पोर्टल, किसान सुविधा ऐप, पूसा कृषि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऐप, 'ईएनएएम, फसल बीमा मोबाइल ऐप, कृषि मार्केट एप' फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग एप, और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्भया ऐप, और हिम्मत



ऐप जैसे एप्लिकेशन शुरू किए गए हैं जो संकट कालीन संकेत भेजने की सुविधा प्रदान करते हैं। कानून प्रवर्तन संस्थाओं, अदालतों और न्यायपालिका के लिए भी ऐप हैं। इस प्रकार, विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा की गई कई पहलें न केवल समाज में क्रांति लाने का प्रयास हैं, बल्कि दलितों को ऊपर उठाने और विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच की खाई को पाटने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने पर भी ध्यान केंद्रित करती हैं



अनूप कुमार
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को सशक्त बनाने

पर 31 जुलाई, 2024 को दलित, नई दिल्ली में एसोचौम द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया



नोएडा एसईजेड को तीसरे वैश्विक मूल्य श्रृंखला सम्मेलन में “भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को सशक्त बनाना” पर सत्र का हिस्सा बनने पर खुशी हुई। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25: के लक्ष्य तक बढ़ाने के लिए उपाय कर रहा है। इसके अलावा, वैश्विक व्यापार की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाना चाहिए और देश को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनने की आवश्यकता है। भारत के व्यापार पदचिह्न का विस्तार करने और इसके विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ रणनीतिक हस्तक्षेपों का भी सुझाव दिया गया। इन हस्तक्षेपों का एक प्रमुख स्तंभ उत्पादन-उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना थी, जिसे विदेशी निवेश को आकर्षित करने और विशिष्ट उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने वाली कंपनियों को राजकोषीय प्रोत्साहन देकर घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास के आधार पर विनिर्माण

प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री गति शक्ति जैसी पहलों पर जोर दिया गया, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सुव्यवस्थित करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स में सुधार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एकीकृत करना है – जो एक संपन्न विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सभी महत्वपूर्ण तत्व हैं।



सत्र में उल्लेख किया गया कि तकनीकी उन्नति एक और रास्ता है जिसके माध्यम से भारत अपनी विनिर्माण दक्षता को बढ़ा सकता है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण महत्वपूर्ण परिचालन लाभ की क्षमता प्रदान करता है। फिर भी, इन प्रगति के लिए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) में एक मजबूत आधार की आवश्यकता थी, विशेष रूप से निजी क्षेत्र के निवेश में। आरएंडडी पर केंद्रित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से इस अंतर को पाटने से नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है जो दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाला गया कि कौशल विकास पहल उद्योग की मांगों के अनुरूप थी, विशेष रूप से एआई और स्वचालन जैसे उभरते क्षेत्रों में, जो अनिवार्य है। नोएडा एसईजेड में कौशल विकास केंद्र का उल्लेख किया गया। "गिग इकॉनमी" की



उभरती अवधारणा ने भी नए अवसर प्रस्तुत किए, जिससे व्यक्तियों को पारंपरिक डिग्री के बजाय प्रमाणन के माध्यम से उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्राप्त करने की अनुमति मिली, जिससे एक अधिक चुस्त और अनुकूलनीय कार्यबल तैयार हुआ।

भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को वैश्विक व्यापार गतिशीलता से अलग करके साकार नहीं किया जा सकता। सत्र में "फ्रेंड-शोरिंग" की ओर चल रहे बदलाव पर

चर्चा की गई – यहाँ देश विश्वसनीय भागीदारों के साथ व्यापार करना पसंद करते हैं – जो भारत की व्यापार रणनीति में एक नया आयाम जोड़ता है। प्रमुख विश्वसनीय भागीदारों के

साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में शामिल होना, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण बनाए रखना, भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में बेहतर ढंग से एकीकृत करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आकर्षित करने के लिए आवश्यक कदम थे।

चर्चाओं में बार-बार आने वाले विषय स्थिरता का भी उल्लेख किया गया, जिसे भारत के विनिर्माण भविष्य का अभिन्न अंग बताया गया। चूंकि देश का लक्ष्य 2025 तक 5 खरब डॉलर या 2030 तक 7 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में तब्दील होना है, इसलिए विनिर्माण प्रक्रियाओं में टिकाऊ प्रथाओं को शामिल करना महत्वपूर्ण होगा। नीतिगत हस्तक्षेप, बुनियादी ढांचे के विकास, प्रौद्योगिकी अपनाने, कार्यबल कौशल और स्थिरता प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करके, भारत न केवल अपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है, बल्कि इस क्षेत्र में खुद को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए भी तैयार है।



इस सत्र से मुख्य बातें निम्नलिखित थीं:

- विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेशको एक प्रमुख चालक के रूप में उपयोग करना महत्वपूर्ण था।
- इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पीएलआई योजनाएँ महत्वपूर्ण होंगी।
- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए पीएम गति शक्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक है।
- विनिर्माण प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में निर्यात भी एक प्रमुख घटक है और रणनीतिक साझेदारों के साथ व्यापार समझौते इसे सुनिश्चित कर सकते हैं।

नोएडा एसईजेड द्वारा किए गए हस्तक्षेप में विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एसईजेड में उपलब्ध सुविधाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं की शुल्क मुक्त साधन, जिससे कार्यशील पूंजी की परिबंधन से छुटकारा मिलता है, व्यापार सुविधा दृष्टिकोण के साथ आंतरिक सीमा शुल्क निकासी, ऑनलाइन अनुमोदन और त्वरित निर्णय लेना।

.....

एमएसएमई विकास शिखर सम्मेलन

सीआईआई द्वारा 26 जुलाई, 2024 कोरेडिसन होटल, सेक्टर 55, नोएडा
में आयोजित किया गया

सीआईआई द्वारा आयोजित एमएसएमई विकास शिखर सम्मेलन 26 जुलाई, 2024 को नोएडा में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि यूपी सरकार में एमएसएमई और निर्यात संवर्धन के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार थे। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एमएसएमई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को देखना और उनके द्वारा विकास के अवसरों का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इस पर विचार करना था। “भारत में उद्योगों के लिए अनुपालन” पर सीआईआई-कॉर्पसीड रिपोर्ट भी जारी की गई। चर्चाओं में, यह रेखांकित किया गया कि एमएसएमई ने सकल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान दिया, कार्यबल का 14%, विनिर्माण उत्पादन का 45% और देश के निर्यात का 40% हिस्सा बनाया। क्षेत्रवार, वे कपड़ा क्षेत्र का लगभग 45%, इंजीनियरिंग क्षेत्र का 40%, आईटी क्षेत्र का 60% और दवा (फार्मास्युटिकल) क्षेत्र के उत्पादन का 20% हिस्सा बनाते हैं।



श्री आलोक कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में करीब 90 लाख एमएसएमई हैं, जो देश भर के एमएसएमई का 16 प्रतिशत है। इनसे राज्य में करीब 1.6 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं, जो कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, एमएसएमई का निर्यात में 46 प्रतिशत योगदान है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, प्रति इकाई सकल मूल्य वर्धन राष्ट्रीय औसत का आधा ही है, जबकि केवल 8 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं और 35 प्रतिशत के पास बैंक खाते नहीं हैं। यहां तक कि उद्यम पोर्टल पर भी करीब 25 लाख एमएसएमई पंजीकृत हैं। बताया गया कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो एमएसएमई को प्रदर्शित करने का एक मंच है।

विकास आयुक्त नोएडा एसईजेड द्वारा हस्तक्षेप केंद्रीय बजट 2024-25 में किए गए बदलावों पर केंद्रित था, जो एमएसएमई वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगा, जैसे कि क्रेडिट गारंटी योजना, स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण मूल्यांकन, मुद्रा ऋण सीमा में वृद्धि, तनाव अवधि के दौरान बैंक ऋण और सिडबी का विस्तार। अन्य



उपायों में सीमा को कम करके ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारों की संख्या बढ़ाना, खाद्य विकिरण केंद्रों और सुरक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना, ई-कॉमर्स हब का निर्माण, प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग शामिल थे। खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री, जहाज पट्टे, विमान एमआरओ, चिकित्सा उपकरण, सौर सेल, चमड़े के उत्पाद, स्पैन्डेक्स धागा, आभूषण, पीसीबी साहयक और इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों में कुछ अवसरों पर प्रकाश डाला गया। हस्तक्षेप में विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे कि अत्याधुनिक अवसंरचना, इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं की शुल्क मुक्त आपूर्ति, जिससे कार्यशील पूंजी की परिबंधन समाप्त हो गई, व्यापार सुविधा दृष्टिकोण के साथ आंतरिक सीमा शुल्क निकासी, ऑनलाइन अनुमोदन और त्वरित निर्णय लेना।

.....

समिट 5-6 सितंबर, 2024 को जयपुर में



राजस्थान व्यापार शिखर सम्मेलन 5-6 सितंबर, 2024 को जयपुर में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य राजस्थान में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना था। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया। इस विस्तृत कार्यक्रम में राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, देश-विदेश के संभावित निवेशक, साझेदार देशों के दूतावास अधिकारी, व्यापार प्रतिनिधिमंडल, थिंक टैंक, गैर सरकारी संगठन और मीडिया शामिल हुए। शिखर सम्मेलन का विषय "अगले दशक के लिए अवसरों को समझना" था।



6 सितंबर, 2024 को शिखर सम्मेलन के दौरान डीसी नोएडा एसईजेड “भारत की एक्जिम नीति – विदेशी व्यापार, निर्यात प्रदर्शन और मानक” से संबंधित पैनल चर्चा में वक्ता थे। पैनल चर्चा के दौरान एसईजेड पर उठाए गए मुख्य बिंदु एसईजेड में उपलब्ध सुविधाएं थीं, जैसे अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, वस्तुओं और सेवाओं के शुल्क मुक्त आयात/घरेलू खरीद के कारण लाभ, इन-हाउस कस्टम्स क्लियरेंस, ऑनलाइन अनुमोदन और सुविधा के कारण व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी), भूमि की उपलब्धता की प्रतिस्पर्धी दरें, उपयोगिताओं का प्रावधान, कौशल केंद्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा बिजली उत्पादन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आदि जैसे स्थिरता उपाय। महिंद्रा एसईजेड में उपलब्ध

सुविधाओं के बारे में भी निवेशकों और उद्योगों को इसका लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करते हुए समझाया गया। 1/8वें माल निर्यात और 1/3वें सेवा निर्यात में योगदान देने के मामले में एसईजेड के प्रदर्शन के बारे में भी बताया गया। लगभग 700,000 करोड़ रुपये के निवेश और 30 लाख से अधिक रोजगार सृजन पर भी प्रकाश डाला गया। सेवाओं के आंकड़ों के संबंध में कहा गया कि आरबीआई अभी भी आपूर्ति के विभिन्न तरीकों में मजबूत आंकड़े तैयार करने पर काम कर रहा है।



चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन नोएडा में ELCINA द्वारा आयोजित 8 मई, 2024 का किया गया

चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन 8 मई, 2024 को नोएडा के होटल रेडिसन में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार करना था। महामारी के मद्देनजर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और इसके परिणाम स्वरूप आपूर्ति में व्यवधान पर भी प्रकाश डाला गया। अंत में, शिखर सम्मेलन में इस क्षेत्र में भारत की विनिर्माण विषय पर चर्चा की गई।



नोएडा एसईजेड को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से संबंधित इस शिखर सम्मेलन में एक सत्र का हिस्सा बनकर खुशी हुई। एनएसईजेड के विकास आयुक्त द्वारा दी गई प्रस्तुति में इस क्षेत्र में 5 खरब डॉलर के समग्र वैश्विक व्यापार पर जोर दिया गया, जिसमें भारत का हिस्सा कम है और आयात पर इसकी निर्भरता लगभग 100 अरब डॉलर है। हालांकि, जोखिम कम करने, विविधीकरण और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन की महामारी के बाद की रणनीति भारत के लिए

एक अवसर थी। इससे भारत इस क्षेत्र में 300 अरब डॉलर के उत्पादन और 120 अरब डॉलर के निर्यात के 2025-26 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होगा।

इसके बाद एकीकृत परिपथ (आईसी) क्षेत्र पर प्रकाश डाला गया, जिसका वैश्विक व्यापार लगभग 1.3 खरब डॉलर है। मूल्य श्रृंखला के संदर्भ में, योगदान डिजाइन के लिए 15-20%, निर्माण के लिए 35-40%, एटीएमपी के लिए 15-0%, वितरण के लिए 5-10% और आईसी के अंतिम उपयोग के लिए 15-20% तक भिन्न था। डीआरडीओ प्रयोगशालाओं से सुविधाजनक राज्य नीतियों और आईपीआर को इस क्षेत्र के विकास के लिए अवसर बताया गया। यह भी कहा गया कि भारत को 28 नैनोमीटर के उच्च ब्रैकेट में कुछ आईसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि, मल्टी-स्टैकिंग तकनीक के आने से इन आईसी का उपयोग उच्च अंत अनुप्रयोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। जिन क्षेत्रों पर देश ध्यान केंद्रित कर सकता है, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवाएँ (ईएमएस) और मूल डिजाइन विनिर्माण (ओडीएम) के साथ-साथ मुद्रित सर्किट बोर्ड समन्वायोजन (पीसीबीए) दोनों शामिल थे।



इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का क्षेत्रीय ब्यौरा दिया गया, जिसमें देश के लिए अवसरों पर विचार किया गया। मोबाइल और पार्ट्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और चिकित्सा उपकरणों के मामले में निर्यात के लिए संभावित नए बाजारों के बारे में बताया गया। इनमें से अधिकांश बाजार इन उत्पादों के बड़े वैश्विक खरीदार हैं। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और घटकों के लिए पीएलआई के संदर्भ में घरेलू नीति के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 पर राष्ट्रीय नीति पर भी प्रकाश डाला गया।

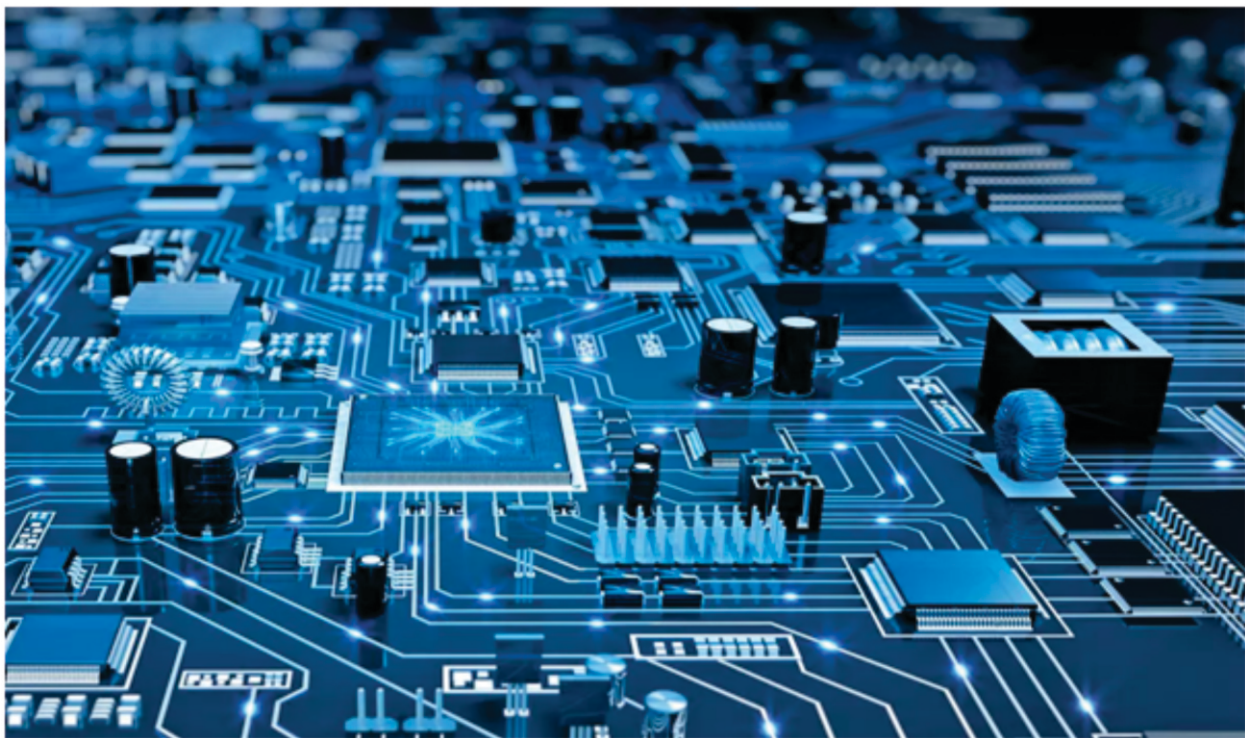
अंत में एसईजेड में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लाभों के बारे में बताया गया। इसमें एकल खिड़की मंजूरी, व्यापार सुविधा दृष्टिकोण के साथ इन-हाउस सीमा शुल्क, ऑनलाइन आवेदन और अनुमोदन तथा स्थिरता के लिए सामान्य उपयोगिताएँ शामिल थीं। मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स के भंडारण के अवसर के बारे में भी बताया गया।



यह शिखर सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का जायजा लेने के लिए एक उपयोगी मंच था। वक्ताओं ने आवश्यक विनियामक लाभों, ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्रों और आपूर्ति श्रृंखला झटकों से बचने के तरीकों के संदर्भ में भारतीय उद्योग के लिए अवसर पर भी चर्चा की।

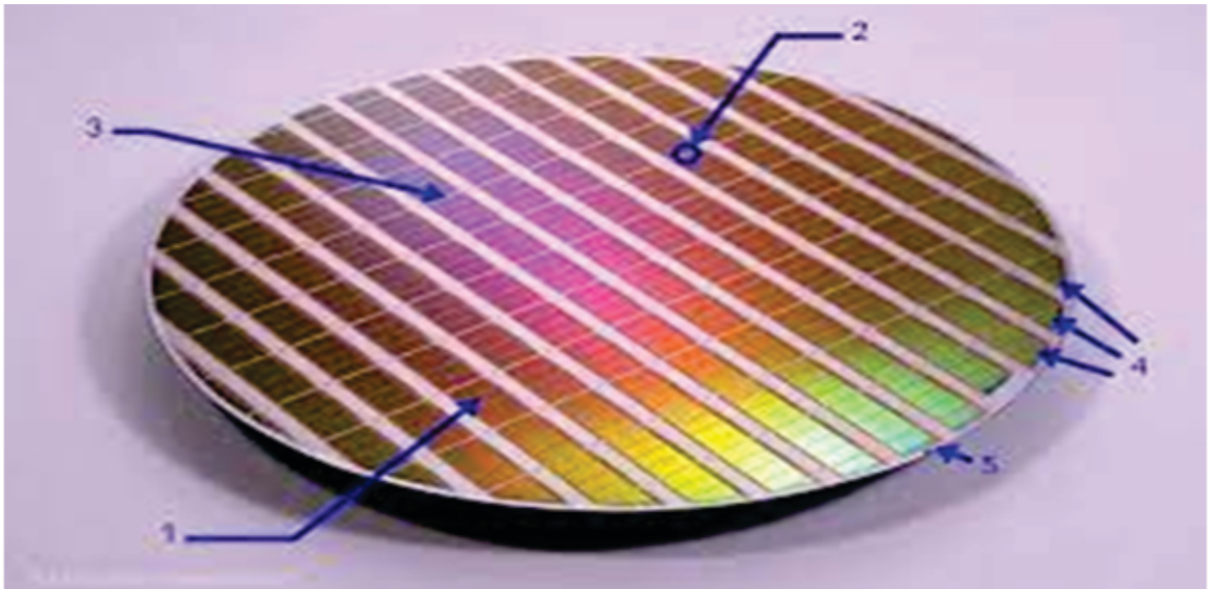
सेमीकंडक्टर चिप मूल्य श्रृंखला

सेमी-कंडक्टर चिप आज दुनिया के लगभग कई उपकरणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रौद्योगिकी में बदलाव के साथ, इसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, खिलौने और ऑटोमोबाइल जैसे कई उपभोक्ता उत्पादों में जगह मिल गई है। चिप्स का उपयोग डेटा सेंटर हार्डवेयर, टेलीकॉम बेस स्टेशन, पावर इंस्टॉलेशन, मानव रहित हवाई वाहन या ड्रोन, सौर पैनल, एलईडी ड्राइवर आदि जैसे औद्योगिक उत्पादों में भी किया जाता है। रक्षा और अंतरिक्ष सहित सभी उपयोगिता क्षेत्र मार्गदर्शन, संवेदन, और संचार के लिए अपने सिस्टम में चिप्स का उपयोग करते हैं। तकनीकी प्रगति से प्रेरित लघुकरण के साथ, ये चिप्स हमारे दैनिक जीवन का अधिक अपरिहार्य हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि भारत इन चिप्स की समग्र मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने पर जोर दे क्योंकि यह वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपना उचित स्थान सुनिश्चित करेगा।



चिप्स की मूल्य श्रृंखला चिप के डिजाइन से शुरू होती है जो चिप के मूल्य का लगभग 15–20% होती है। हालाँकि, परिष्कार के आधार पर, उच्च स्तर वाले लोगों के लिए यह 50% तक भी जा सकता है। यह ताइवान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ

देशों के हाथ में है। इन चिप्स को डिजाइन करने वाली कई कंपनियों ने इस काम का कुछ हिस्सा भारतीय कंपनियों को आउटसोर्स कर दिया है या उनके पास कई कर्मचारी हैं जो भारतीय मूल के हैं। इसलिए, भारत भी कुछ बड़े खिलाड़ियों के साथ चिप्स की इस डिजाइनिंग में शामिल होने की संभावना तलाश सकता है। डीआरडीओ की कुछ प्रयोगशालाओं ने इन पर शोध किया है और ऐसे डिजाइनों के लिए संभावित सहयोगी केंद्र हो सकते हैं।



इस डिजाइन के आधार पर चिप का निर्माण या निर्माण करना होता है। इसके लिए तकनीकी रूप से उन्नत चिप्स के विकास के लिए भारी निवेश और समय अवधि की आवश्यकता होती है। इसका मूल्य लगभग 20–40% है और यह कुछ कंपनियों का संरक्षण है। एक बार फिर, लागत प्रौद्योगिकी और चिप्स के अनुप्रयोग पर निर्भर करती है। इनमें से कुछ हैं ताइवान सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (टीएसएमसी), टेक्सस उपकरण, माइक्रोन तकनीकी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रॉडकॉम आईएनसी, एएमडी आईएनसी, एस.के. हाइनिक्स और मीडिया टेक आईएनसी। चिप निर्माण में मुख्य पहलू विभिन्न इनपुट के बीच की दूरी को कम करके सर्किट को संघनित करने की क्षमता है। इन दूरियों को नैनोमीटर या एनएम के संदर्भ में मापा जाता है। नैनोमीटर जितना कम होगा, लागत और तकनीकी विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। तकनीक का दूसरा पहलू इन चिप्स की स्टैकिंग है। स्टैक की संख्या जितनी अधिक होगी, मेमोरी बेस उतना ही बड़ा होगा। इसलिए जहां तक चिप्स का सवाल है यह उन्नति का एक और क्षेत्र है।

उदाहरण के लिए, आज निर्मित होने वाले सबसे परिष्कृत चिप्स 3 एनएम पर हैं जो मोबाइल फोन, डेटा सेंटर, कंप्यूटर सीपीयू, टेलीकॉम बेस स्टेशन और रक्षा और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में अपना रास्ता तलाशते हैं। ताइवान स्थित कंपनी टीएसएमसी इस बाजार में सबसे बड़ी खिलाड़ी है। 1 एनएम चिप्स बनाने की दिशा में भी प्रगति हो रही है और ये भी जल्द ही व्यावसायिक बाजार में आ जानी चाहिए। यह उच्च अंत अनुप्रयोगों के लिए परिपथको संपीड़ित करने में सक्षम करेगा।

फिर 10–15 एनएम पर चिप्स हैं जो मोबाइल, दूरसंचार उपकरण और डेटा केंद्रों में भी बहुत सारे अनुप्रयोग पाते हैं। सबसे आम चिप्स 28 एनएम पर हैं और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर स्वचालित क्षेत्र में किया जाता है। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं के बढ़ने से इन चिप्स की यहां काफी मांग है। 55–65 एनएम कोष्ठक में चिप्स का उपयोग कुछ उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे वॉशिंग मशीन और टीवी के साथ-साथ स्रोत पैनलों के लिए भी किया जाता है। बड़े 100 एनएम चिप्स का उपयोग एलईडी ड्राइवर और खिलौनों में किया जाता है।

चिप मूल्य श्रृंखला का अंतिम चरण चिप की असेंबली, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग या एटीएमपी है। यह मूल्य श्रृंखला के शेष भाग के लिए जिम्मेदार है। आउटसोर्सिंग संयोजन और टेस्ट या ओएसएटी की अवधारणा भी है जिसका सहारा कई चिप निर्माता लेते हैं। वे इसे तीसरे पक्ष को आउटसोर्स करते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए एक अलग प्रकार की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। सर्वव्यापी रूप से, इस चरण को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण प्रणाली या ईएमएस के रूप में जाना जाता है। संयोजन वेफर को एक अधःस्तर पर रखने के बारे में है। इसके बाद, इसे अपेक्षित आकार में काटा जाना चाहिए ताकि यह डिवाइस के लिए आवंटित स्थान में फिट हो सके। फिर इन चिप्स का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी माइक्रो-सर्किट क्रम में हैं। भारत में अधिकांश खिलाड़ी चिप मूल्य श्रृंखला के इस चरण में विशेषज्ञ हैं।

अंत में, यह महत्वपूर्ण है कि भारत धीरे-धीरे सेमी-कंडक्टर चिप्स की मूल्य श्रृंखला के सभी तत्वों में शामिल होने का प्रयास करे। जबकि निर्माण के लिए भारी निवेश की आवश्यकता हो सकती है, कोई 28–100 एनएम ब्रैकेट चिप्स का पता लगा सकता है जो कई अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। हालाँकि, यह डिजाइन मूल्य श्रृंखला है जहाँ भारत की उपस्थिति सीमित है और हमारे पास एक बड़ी क्षमता है जिसमें कोई भी हमारी घरेलू प्रयोगशालाओं से प्रौद्योगिकियों को लाइसेंस दे सकता है। इस प्रकार हमें वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिए सेमी-कंडक्टर विकास पर जोर देने की आवश्यकता है।

“कंठस्थ” 2.0

राजभाषा विभाग द्वारा विकसित स्मृति आधारित अनुवाद टूल “कंठस्थ” 2.0

केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों राष्ट्रीयकृत बैंको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के राजभाषा अधिकारियों एवं अनुवाद अधिकारियों को एक दूसरे से जोड़ने तथा एक दूसरे के कार्यों से लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस टूल को विकसित कराया गया है। ताकि अनूदित कार्य की पुनरावृत्ति कम हो तथा अनुवाद कार्य कम समय में पूरा किया जा सके। राजभाषा विभाग द्वारा अब तक 52 मंत्रालयों एवं विभागों के साथ साथ राष्ट्रीयकृत बैंको सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के राजभाषा अधिकारियों एवम अनुवाद अधिकारियों को इस टूल का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

अनुवाद कार्य “कंठस्थ 2.0” के माध्यम से:—

जब हम अनुवाद कार्य “कंठस्थ 2.0” के द्वारा करते हैं जो अन्तरिम अनूदित दस्तावेज तैयार होता है वह “कंठस्थ 2.0” के सर्वर पर EM के रूप में भी संरक्षित हो जाता है। जिससे इस अनुवाद कार्य से सभी प्रयोगकर्ता लाभान्वित होते हैं।

मशीन अनुवाद की सभी विधिया:—

जैसे शब्दकोश पर आधारित:—

उदाहरणों पर आधारित:—

नियमों पर आधारित:—

ट्रांसलेशन स्मृति पर आधारित:—

सांख्यिकीय मशीन अनुवाद तथा न्यूरल मशीन अनुवाद आदि होते हैं:—

“कंठस्थ 2.0” ट्रांसलेशन स्मृति के आधार पर कार्य करता है। किए गए कार्य को TM के रूप में संरक्षित करता है। तथा जब भविष्य में अनुवाद हेतु नई फाइल अपलोड की जाती है तो सिस्टम द्वारा TM डाटा बेस से वाक्यों के अनुवाद को खोजकर लाया जाता है।

“कंठस्थ 2.0” में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो बार बार प्रयोग किए जाते हैं

पहला शब्द है TM

“कंठस्थ 2.0” में डेटा जिस फॉर्मेट में संरक्षित होता है वह है TM, TM एक ऐसा डेटा बैंक है

जिसमें स्रोत भाषा तथा उसके अनुदित रूप को एक साथ रखा जाता है। यह दो प्रकार की होती है

प्रथम लोकल टी एम (TM)-

जब यूजर किसी भी वाक्य का अनुवाद कर Commit करता है तो वह लोकल TM कहलाती है तथा यह यूजर के एकाउंट पर संरक्षित होती है।

दूसरी ग्लोबल TM:-

विभिन्न मंत्रालयों विभागों राष्ट्रीयकृत बैंको तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के चयनित राजभाषा अधिकारियों को जिन्हें Vetter के रूप में अधिकृत किया गया है, के द्वारा सेंट्रल सर्वर पर जो TM अपलोड की जाती है उसे ग्लोबल TM कहते हैं तथा यह सभी यूजर के लिए अप्रत्यक्ष के रूप में उपलब्ध होती है।

पूर्वतः मिलान— जिन वाक्यों को TM डाटा बेस से 100% मिलान होता है उसे पूर्णतः मिलान या (परफेक्ट मैच) कहते हैं।

आंशिक मिलान— जिन वाक्यों का मिलान 1% से 99% के मध्य होता है। तो उन्हें आंशिक मिलान या Fujji मैच (Match) कहते हैं। और यदि किसी वाक्य का अनुवाद डेटाबेस में नहीं मिलता तो No Translation Available होता है।

TB (ट्रम बेस) जब सर्वर द्वारा वाक्यरूप का प्रयोग किए बिना केवल शब्दों के आधार पर अर्थ किया जाता है तो उसे TB (ट्रम बेस) कहते हैं।

लक्षित भाषा— जिस भाषा की फाइल का अनुवाद हमें करना होता है। वह लक्षित भाषा या टारगेट Language कहलाती है इस प्रकार कंठस्थ पर हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है।

कंठस्थ 2.0 के दो संस्करण विकसित किए गए हैं।

पहला—वेब संस्करण जिसका URL है WWW.kantthasth-rajbhasha.gov.in

दूसरा — स्टैंड अलोन संस्करण जिसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट तथा कंठस्थ के URL से डाउनलोड किया जा सकता है।

कंठस्थ के स्टैंडअलोन संस्करण को कम्प्यूटर में डाउनलोड करने से पूर्व कम्प्यूटर में कम से कम 4 (GB) की रेम (RAM) माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 तथा जावा 1.8 SAVA JDK आदि उपलब्ध होना चाहिए।

कंठस्थ 2.0 की कार्यप्रणाली

1. वेब संस्करण का प्रयोग करने के लिए पंजीकरण करना होता है तथा स्टैंडअलोन का प्रयोग करने के लिए डाउनलोड किया जाता है। डाउनलोड करने के बाद उसे सिस्टम पर रन करना होता है। वेब संस्करण में यूजर आईडी तथा पासवर्ड फिल करते हैं और लॉगिन कर देते हैं तथा स्टैंड अलोन संस्करण में जो आईकॉन सिस्टम पर बनता है उस पर क्लिक किया जाता है। दोनों ही संस्करण की प्रणाली एक समान है दोनों का होम पेज एक जैसा खुलता है जिस पर जाकर हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना होता है। इसके बाद नया फोल्डर बनाते हैं तथा फोल्डर बनाते समय ही उसमें अनुवाद हेतु कम से कम एक फाइल अपलोड कर देते हैं अब फाइल को एडिटर पेज पर खोलते हैं तथा वाक्यों का अनुवाद करते हैं। इसके बाद अनुदित फाइल को डाउनलोड कर लिया जाता है यूजर द्वारा जो कार्य **Commit** किया गया है वह उसकी लोकल **TM** में संरक्षित हो जाती है अब इन सभी **TM** को आप अपने मंत्रालय विभाग, बैंक या उपक्रम के अधिकृत **Vetter** को भेजते हैं तथा **Vetter** द्वारा इनकी जांच कर ग्लोबल **TM** हेतु सेंट्रल सर्वर पर अपलोड किया जाता है।

कंठस्थ 2.0 की प्रमुख विशेषताएं

कंठस्थ 2.0 का सेंट्रल सर्वर **NIC** द्वारा मेन्टेन किया जाता है तथा सभी डेटा **NIC** द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। इस पर **20 MB** तक फाइल अपलोड कर सकते हैं। फाइल को विभाजित तथा शेयर करने की सुविधा उपलब्ध है। पूर्ण रूप से मानवीय अनुवाद की उपेक्षा सिस्टम की सहायता से अनुवाद का कार्य कम समय में पूरा किया जा सकता है। स्वयं अपनी लोकल **TM** बना सकते हैं कार्य को सेव कर सकते हैं। अनुवाद के समय सर्वप्रथम लोकल **TM** से मिलान की सुविधा उपलब्ध है जिससे हमारी लेखन शैली में एकरूपता बनी रहती है।

Word तथा **Excel** की फाइलों को फॉर्मेट रिटेंस की सुविधा उपलब्ध है। सेंट्रल सर्वर पर अधिकृत अधिकारियों द्वारा ही डेटा भेजने की सुविधा उपलब्ध है। किसी विशेष वाक्यांश की सुविधा वह फाइल को खोजने विश्लेषण करने की सुविधा जिसकी सहायता से हम फाइल के अनुवाद में लगने वाले समय का अनुमान भी लगा सकते हैं और द्विभाषिक फाइल डाउनलोड की जा सकती है। किसी समय विशेष कि रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। प्रोजेक्ट फोल्डर एवं फाइल बनाने तथा उन्हें कम्प्यूटर से लेने की सुविधा उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार की फाइलों के फॉर्मेटों को अनुवाद हेतु अपलोड किया जा सकता है। केवल यूनिकोड समर्थित फॉन्ट की फाइले अपलोड करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है।

त्वरित अनुवाद के लिए

Instant Translation अनुवाद करे या पेस्ट करे और ओपन इन एडिटर बटन पर क्लिक करें, हमारे द्वारा जो भी कार्य **Commit** होगा उसे **Show TM** के द्वारा देखा जा सकता है।

TM Folder के आधार पर सेव होती है। किसी भी फाइल का विश्लेषण करने के लिए **Analysis** में पर क्लिक करे, और फिर **Add** फाइल पर क्लिक करें, तथा फाइल की स्थिति को देखे किसी समय विशेष में किए गए कार्य का पता करने के लिए रिपोर्ट पर तिथियों का चयन करे और डेटा प्राप्त करे। कठिन शब्दों का अर्थ ढूँढ़ने के लिए शब्दकोश की मदद ले सकते हैं। इस शब्दकोश में तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली आयोग की शब्दावली के शब्दों को भी ऐड (**Add**) किया गया है।

मदद Help

(**Help**) हेल्प बटन की सहायता से हमें कंठस्थ 2.0 के यूजर **Manual** की हाइपर लिंक की **PDF** फाइल द्विभाषी रूप में उपलब्ध होगी जिसकी सहायता से हम प्रशिक्षण संबंधी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अब हम प्रोजेक्ट टूल बार पर आते हैं। जिस पर 2 बटन, एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए तथा दूसरा सिस्टम पर उपलब्ध प्रोजेक्ट प्राप्त करने के लिए है। नया प्रोजेक्ट, बटन की सहायता से नया प्रोजेक्ट बनाये इसके बाद फोल्डर पेज खुलेगा, जिसमें 3 बटन हैं पहले बटन की सहायता से नया फोल्डर बनाये तथा उसमें फाइल को अपलोड करे। अब हम इनबॉक्स/फाइल पेज पर हैं। इसपेज पर कुल बारह बटन दिए गए हैं जिनकी सहायता से हम अतिरिक्त फाइल जोड़ना, **TM** जोड़ना, स्रोत फाइल डाउनलोड करना, अनूदित फाइल डाउनलोड करना, फाइल को डिलीट करना, आदि कर सकते हैं। किसी भी फाइल पर डबल क्लिक करने पर एडिटर पेज खुल जायेगा जिस पर कुल 21 बटन दिये गये हैं जिनकी सहायता से हम अनुवाद कार्य कर सकते हैं।

कंठस्थ 2.0 में हेल्पयू (**MAY I**) उपलब्ध है और आवाज (**Voice**) टाइपिंग भी दे दी गयी है तथा इसे मोबाइल द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो लॉगिन हम अपने कम्प्यूटर पर करेंगे वही हम मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।



अभ्यास

कंठस्थ 2.0 का अभ्यास करने से और अपना सम्पूर्ण कार्य कंठस्थ 2.0 में अनुवाद करने से ही कंठस्थ को सीखा जा सकता है। तभी हम अपने कार्यालय का सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में कर सकते हैं। यदि हम मन में सोचते रहे कि आज देखेंगे, कल देखेंगे तो कभी भी कंठस्थ 2.0 के अनुवाद टूल को उपयोग नहीं कर पायेंगे।

हिंदी में कार्य करने की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ-साथ हिंदी पूरे देश की राजभाषा बन गई। अतः हमारा यह संवैधानिक दायित्व है कि हम अपने सरकारी काम-काज में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें। हिंदी को राजभाषा के रूप में सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि प्रशासन में लगे कार्मिक अपना पूर्ण सहयोग दें।

1. राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि

(क) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें से किसी के पास पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

(ख) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से—

(क) क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतः हिंदी में भेजे जाएंगे और यदि पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा—

परंतु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे।

(ख) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

(ग) केंद्रीय सरकार से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति के पास पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे।

उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र ग में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

परंतु हिंदी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे, जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुशंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आधारित करें।

1. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि

(क) केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

(ख) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे, जो केंद्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुशंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।

(ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिंदी में होंगे।

(घ) क्षेत्र 'क' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं, परंतु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे, जो ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुशंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

(कृ) क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं, परंतु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे, जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुशंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें, परंतु जहां ऐसे पत्रादि—

(1) क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित हैं, वहां यदि आवश्यक हो तो दूसरी भाषा में उनका अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा।

(2) क्षेत्र 'ग' किसी कार्यालय को संबोधित है, वहां दूसरी भाषा में उनका अनुवाद उनके साथ भेजा जाएगा।

परंतु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसे अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

2. हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर

नियम 3 ओर नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे।

3. हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार किए जाते हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी किये जाते हैं।

4. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना

(1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है। उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

(2) केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी, जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार अपने आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा (जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है) टिप्पण, प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।

(5) केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

6 केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयुक्त किए जाने वाले रजिस्ट्रों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी तथा अंग्रेजी में होंगे।

7. केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर प्रकाशित लेख तथा लेखन-सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी—

परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकती है।

राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु स्थापित जांच बिन्दु

1. संबंधित अधिकारी राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले निम्न कागजात पर हस्ताक्षर करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि ये द्विभाषी जारी हो रहे हैं।
2. हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे।
3. 'क' और 'ख' क्षेत्र में भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी में लिखे जाएंगे।
4. 'क' 'ख' 'ग' क्षेत्र के लिए निर्धारित हिंदी पत्रों के निम्न लक्ष्य प्राप्ति हेतु भरसक प्रयास करें

'क' – 100%

'ख' – 100%

'ग' – 65%

5. कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले रजिस्ट्रों के शीर्षक द्विभाषी रूप में होने चाहिए।

6. रबड़ की मोहरें, साईनबोर्ड, पत्र शीर्ष, नामपट्ट, द्विभाषी रूप में होने चाहिए।

कार्यालय में प्रयोग में लाये जाने वाले सभी कोड, मैनुअल, फार्म, नामपट्ट सूचनापट्ट, प्रक्रिया साहित्य, बैनर आदि द्विभाषी होने चाहिए।

कार्यालय में प्रयोग किए जा रहे कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सॉफ्टवेयर यूनिकोड एनकोडिंग लोड कराया जाए तथा हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाया जाए।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के प्रत्येक मद का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

सेवा पंजियों में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं।

राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जो पत्र, परिपत्र आदि हिंदी में या हिंदी और अंग्रेजी में जारी होने चाहिए या जो प्रलेख हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं तैयार किए जाने हों वे उसी रूप में जारी होते हैं, यह देखने की जिम्मेदारी पत्र या प्रलेख पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की है। अतः हस्ताक्षर करने से पूर्व ऐसे अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसे पत्र/परिपत्र, प्रलेख आदि हिंदी में या द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।

हिंदी राजभाषा को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है।

1. 'क' क्षेत्र इस क्षेत्र में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है।
2. 'ख' क्षेत्र इस क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र है।
3. 'ग' क्षेत्र इस क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अड़ीसा, केरल, कर्नाटक, गोवा, जम्मू व काश्मीर, तमिलनाडु, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य तथा लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र।

इन तीनों भागों द्वारा हम यह देख सकते हैं कि हमारे कार्यालय में जो पत्र प्राप्त होते हैं वह किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। और हमें उसका जवाब किस क्षेत्र में देना है और हमें उसका जवाब संपूर्ण हिंदी में या हिंदी या अंग्रेजी में या अंग्रेजी में यह पता किया जा सकता है 'क' 'ख' 'ग' क्षेत्रों से देखा जा सकता है।



श्री कमल अहमद
वरिष्ठ कार्यकारी

सुन्दरबन

सुंदरबन, तीन नदियों— गंगा या पद्मा; ब्रह्मपुत्र या जमुना; और मेघना; के संगम द्वारा बनाया गया एक अनूठा स्वर्ग है जिसकी स्थलाकृति अनोखी है। जो चीज इसे अनोखा रूप देती है, वह वितरिकाओं और खाड़ियों का संजाल है जो ऐसा प्रतीत होता है कि जंगलो को काट कर अपना रास्ता खुद बना रही है। इस क्षेत्र की निस्तब्धता और प्रशान्ति, पृथ्वी के



किसी भी निवास्य क्षेत्र से बेजोड़ है।

विलियम व्हीलर ने इसके बारे में निम्नलिखित कहा है।

“सुंदरबन एक अनोखी जगह है जहाँ जमीन, पानी और आकाश एक साथ मिलकर एक ऐसा परिदृश्य बनाते हैं जो सुंदर और भयानक दोनों है।”

इस दलदली आश्रय में ढेर सारे द्वीप हैं जिनकी अपनी अनूठी स्थलाकृति, वनस्पति और जीव हैं। जैव-विविधता, मैन्ग्रोव (कच्छ वनस्पति) वृक्षारोपण के समामेलन द्वारा अनुकरणीय, मिट्टी के किनारे कृषि भूमि रेत के टीलों के विशाल पथ और बंजर भाग के साथ से घिरे हुए हैं। ज्वारनदमुख द्वारा अलग किए गए द्वीपों का अपना अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र है। एकमात्र सामान्य सूत्र यह है कि वनस्पति घनी है और तैरते हुए हरे द्रव्यमान का आभास देती है।



ज्वार इस परिदृश्य के लिए अनोखा हैं। उच्च ज्वार समुद्र को ज्वारनदमुख में प्रवेश करते हैं जिससे पानी खारा हो जाता है। जब यह कम ज्वार होता है, तो नदियाँ तीव्रता में आ जाती हैं और मीठे पानी का प्रवाह लवणता को कम कर देता है। पानी और लवणता के स्तर में परिवर्तन का यह चक्र इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनोखा है।

जीव-जंतुओं की अनोखी प्रजातियाँ, सभी चारों ओर खारे पानी के अनुकूल हैं। इनमें से कई वनस्पतियाँ जो कम ज्वार के दौरान अपनी सारी वैभव प्रदर्शित करती हैं, उच्च ज्वार आने पर इन खारे पानी में डूब जाती हैं।

इन ज्वारों के साथ लवणता के स्तर में भिन्नता जीवित रहने के लिए जीवों को अनोखा बनाती है। सुंदरी के पेड़ के अलावा बेल, हेतल और गरजन जैसी अन्य प्रजातियाँ भी हैं जो इस जगह की अनूठी परिस्थितियों के अनुकूल हैं। उच्च ज्वार में पानी में डूबे रहने के दौरान, मानो यह हवाई जड़ दुर्लभ ऑक्सीजन की तलाश में है। इन सभी पौधों को चोटी और भाटा ज्वार की परिवर्तनीय स्थितियों के लिए अनुकूलित किया है। यह सभी बाशंदा, जीवन के उतार-चढ़ाव को संप्रेषित करने का प्रकृति का तरीका है। वन आवरण मध्यम ऊंचाई के साथ घना है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसका नाम स्थानीय भाषा में "सुंदर जंगल" है। एक विचारधारा यह है कि इसका नाम सुंदरी वृक्ष से लिया गया है जो यहाँ के (मैन्ग्रोव) कच्छ

वनस्पति की मुख्य प्रजाति है। हालाँकि, जैसे-जैसे मानव आवास फैलता गया, ये पेड़ भी कम होते गए।

कीचड़ से भरे किनारे केकड़ों, मडस्कपर और सीपदार मछली से भरे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी जो इन दलदलों में रहते हैं, वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक आश्रय स्थल हैं। किंगफिशर, कोयल, टिटहरी, लैपविंग्स, बगुले और बगुले की कई प्रजातियां हैं। अन्य में बत्तख, अबाबील, तोते, बार्बेट, ड्रोंगो, कठफोड़वा और चील शामिल हैं। हालांकि, वे इस जैव-विविध क्षेत्र को रंग और चहचहाना प्रदान करते हैं। इनमें से अधिकांश पक्षी इस भूमि की नदियों और खाड़ियों में मछलियों की प्रचुरता पर जीवित रहते हैं। बेशक, पानी अंतर्देशीय तालाबों जितना शांत नहीं है, जिसके लिए मछली पकड़ने में अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।



खारे पानी के मगरमच्छ पानी पर राज करते हैं और कोई भी उन्हें कीचड़ भरे किनारों पर धूप सेंकते हुए पकड़ सकता है। यह कभी कभी इंसानों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। डॉल्फिन को इन पानी में बड़ी गति से ऊपर और नीचे तैरते हुए देखा जा सकता है। मीठे पानी और खारे पानी की प्रजातियों की विभिन्न प्रकार की मछलियाँ अपने अनूठे

पारिस्थितिकी तंत्र के कारण होती हैं, जहाँ उच्च ज्वार के समुद्री पानी को कम ज्वार के दौरान नदी के पानी से बदल दिया जाता है। मीठे पानी और खारे पानी दोनों की इन प्रजातियों में से कुछ हिलसा, भेटकी, टंगरा, झींगे, पोम्फ्रेट, हेरिंग, कैटफिश, स्नैपर, तलवे आदि हैं। रीफ शार्क जैसी शिकारी मछली की प्रजातियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। चित्तीदार हिरण और जंगली सूअर कई द्वीपों में विचरण करते हैं और कभी-कभी तटों तक आ जाते हैं। हालाँकि मीठे पानी के स्रोतों की तलाश करना उनके लिए एक चुनौती है। जल निकायों के नेटवर्क में, पानी के मॉनिटर भी रहते हैं। यह छिपकली की प्रजाति संगीत संचालक की तरह धीमी गति से अपना रास्ता सदाबहार में बनाता है।



निश्चित रूप से इन सबका शासक रॉयल बंगाल बाघ है, वह प्राणी जो बिना बुद्धिमान मनुष्यों के डर से दलदल में घूमता है। यह इन दलदलों का सबसे बड़ा शिकारी था और इसने वन के सभी निवासियों में गूढ़ भय पैदा कर दिया था। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं

जानता कि यह राजसी जानवर इस दुर्गम इलाके में कैसे आया, लेकिन हमेशा यह संदेह होता है कि शहरीकरण के दबाव से इसे अपने प्राकृतिक आवास से दूर कर दिया गया था। इसका चमकदार कोट, अंतर्देशीय बाघों की तुलना में बहुत अधिक प्रमुख है। यह काफी कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने वाले दलदलों का वास्तविक राजा है। हालांकि, यह अपने भीतरी इलाकों के बाघों की तुलना में आकार में छोटा है, जो संकीर्ण और घने जंगलों में जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इसका आकार छल और हत्यारा वृत्ति से बना है, जो दुनिया भर में किसी भी अन्य प्रजाति से बेजोड़ है। इसने मानव-पशु संघर्ष को जन्म दिया है जो इस जगह के लिए वास्तविक चुनौती है।



सुंदरबन संभवतः पहला स्थान था जहाँ इन जीवों को आदमखोर के रूप में दर्ज किया गया था। यह इस जगह के कई रहस्यों में से एक है। सिद्धांतों में से एक यह है कि खारा पानी पीने से कुछ जैविक परिवर्तन होते हैं, जिससे जानवर अधिक आक्रामक हो जाता है। कुछ अन्य कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं और मुहाने से नीचे बहने वाले निकायों ने इसे मेहतर बना दिया, जिससे मानव मांस के लिए एक स्वाद विकसित हुआ। कई लोग यह भी कहते हैं कि धीमी गति से चलने वाले मनुष्य सबसे आसान लक्ष्य होते हैं क्योंकि दलदलों के

कठिन इलाके बड़े शाकाहारी जीवों के शिकार एक चुनौती पेश करते हैं। वे भोजन की तलाश में एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने वाले विशेषज्ञ तैराक होते हैं। थोड़े झिल्लीदार पंजे इसे इन पानी में बढ़त प्रदान करते हैं जहां यह मगरमच्छ जैसे अन्य शिकारियों को भी पकड़ लेता है। इस जानवर की गुप्तता इसे अन्य बिल्लियों से अलग करती है और यह अपने शिकार के सूँघने की दूरी तक आ सकती है। इन खूबसूरत जंगलों का पूरा रहस्य एक तरह से इस राजसी जानवर और इसके व्यवहार से जुड़ा हुआ है।

क्या प्रकृति ने इस स्थान को मानव निवास के लिए उपयुक्त बनाया है? वैसे संशयवादी कह सकते हैं कि मानव बस्तियों ने इस स्वर्ग को बर्बाद कर दिया लेकिन इस भूमि के निवासियों ने और कुछ नहीं जाना, और बाहर की दुनिया उनके लिए गूढ़ है। मीठे पानी के सीमित स्रोतों के साथ समुद्र के पानी की लवणता का समामेलन ही इस जगह को इसके निवासियों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बनाता है। पानी से भरा स्वर्ग, लेकिन विडंबना यह है कि पीने योग्य ताजे पानी के स्रोतों को खोजने का संघर्ष। जैसा कि वे कहते हैं "हर जगह पानी ही पानी है लेकिन पीने के लिए कहीं भी एक बूंद नहीं है"

इस भूमि की सुंदरता से पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। नदियाँ, नाले, खाड़ियाँ सभी हरे-भरे वनस्पतियों के माध्यम से अपना रास्ता बनाती हैं। वनस्पति और जीव देश में शायद ही कहीं और देखे जाते हैं। नाव से यात्रा करना ही एकमात्र विकल्प है और यह देखने में आकर्षण और दुर्लभता को जोड़ता है। बेशक पक्षी अपनी मछलियों को पकड़ने के लिए नदी पर रहना पसंद करते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए चुपचाप गोता लगाने के लिए तैयार शाखाओं पर बैठे किंगफिशर को देखना असामान्य नहीं है। दलदलों पर ढेर सारे चित्तीदार हिरण और सूअर पाए जा सकते हैं। नदियों पर गुजरते हुए यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि राजसी मांसाहारी बाघ सभी पर नजर रखे हुए हैं। आखिरकार यह इस पारिस्थितिक रूप से नाजुक निवास स्थान का संरक्षक रहा है, और इन प्राचीन भूमि पर आक्रमण के खिलाफ सभी बाधाओं से लड़ रहा है। ज्वार अधिक आने पर जलस्रोत चारों ओर फैल जाते हैं, और जब ज्वार कम हो जाता है तो वे एक हरे कालीन को प्रकट करने के लिए बस एक झटके में गायब हो जाते हैं।



इस जगह में जीवन निवास के लिए चुनौतीपूर्ण है और निवासियों ने खुद को चारों ओर की अनिश्चितताओं और खतरों के अनुकूल बना लिया है। अमिताव घोष ने अपनी पुस्तक गन आइलैंड के एक उद्धरण में इस दुविधा को निम्नलिखित प्रस्तुत किया है:

मोयना ने कहा, "कभी-कभी, ऐसा लगता था जैसे सुंदरबन में रहने वालों के खिलाफ जमीन और पानी दोनों बदल रहे थे"



ए. बिपिन मेनन
अ. बिपिन मेनन

विकास आयुक्त
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

लद्दाख

एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला परिदृश्य, जिसमें चट्टानी रेगिस्तान से लेकर नदी के किनारे की हरी-भरी हरियाली, सुरम्य पहाड़ी झीलें और निश्चित रूप से नीचे बहते ग्लेशियरों को देखती राजसी बर्फ से ढकी चोटियाँ शामिल हैं। साधारण व्यक्ति के लिए यह स्वर्ग जैसा लगता है क्योंकि इसकी सुंदरता देश के अन्य हिस्सों से अतुलनीय है। यही कारण है कि यह मौलिक निर्जन क्षेत्र बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह उपमहाद्वीप का प्रकृतिकृत पश्चिम है। अंतर केवल इतना है कि यहां के निवासी चुनौतियों के बावजूद भी सरल, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से जीवन जीते हैं।



उन लोगों के लिए जिन्होंने विशाल केंद्र शासित प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लंबी सैर की है, उनके लिए मंगल ग्रह रोवर के कुछ वीडियो से दृश्य बहुत अलग नहीं हैं। उद्बुद्धि चट्टानी के साथ एक बंजर परिदृश्य और दृष्टि में कोई जीव नहीं है। जब कुछ बस्तियों या सैन्य चौकियों के सामने आने से तब एहसास होता कि वह स्थान स्थलीय है। चट्टानों का बहुरंगी रंग कभी-कभी एक अवास्तविक एहसास देता है। पीले, हरे, लाल, भूरे और यहां तक कि काले रंग के विभिन्न रंगों की चट्टानों वाली आसपास की पहाड़ियाँ मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसकी बंजर सुंदरता एक चित्रफलक की तरह है जहां एक प्रतिभा ने एक उत्कृष्ट कृति उकेरी है।



हालाँकि, नदियों के किनारे एक पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश करते हैं। पानी, जीविका का स्रोत बस्तियों को पनपने देता है। इन परिदृश्यों में ढेर सारी हरियाली और खेत नदी के किनारे के गाँव और छोटे शहर इस भूमि का आर्थिक हृदय हैं। सड़क के किनारे चाय की दुकानें, पर्यटक सामान, किराने का सामान आदि बेचने वाली दुकानें और चारों ओर बहुत सारे निर्माण बंजर परिदृश्य से एक बिल्कुल नया अनुभव प्रदान करते हैं।



पानी एक बहुमूल्य वस्तु है क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा की भारी कमी है और इसे भूजल पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे पहाड़ी झीलों, नदियों और कृत्रिम तालाबों के माध्यम से फिर से भरा जाता है। यह उन लोगों के लिए जीवन का अमृत है, जिन्हें यहां रहना है, लगभग चांदी के धागों की तरह जो उजाड़ इलाके में जीवन बुनते हैं। कृत्रिम तालाब या जिंग पानी के भंडारण का प्राथमिक साधन हैं जो अन्यथा नदियों में बह जाता है और नीचे की ओर बह जाता है। जल संरक्षण के अन्य स्रोत सर्दियों के दौरान बनने वाले बर्फ के स्तूप, कृत्रिम ग्लेशियर और बर्फ शह बांध हैं। सिंचाई के मामले में भी कई लोग टपकाव सिंचाई, पलवार और छिड़काव जैसी जल संरक्षण प्रथाओं को अपनाते हैं।



तभी कहीं से पहाड़ों के बीच कुछ खूबसूरत झीलें उभर आईं, मानो उन थके हुए यात्रियों को सहायता प्रदान कर रही हों जो कठिन इलाके से होकर गुजर रहे हों। पानी साफ और पारदर्शी है जिसमें नीले से लेकर हरे रंग के विभिन्न रंगों तक कई रंग हैं। इन पूर्णतया स्वच्छ पानी में चोटियों का प्रतिबिंब इसे फोटोग्राफरों का स्वर्ग बनाता है। तटबंधों में उबड़-खाबड़ चट्टान से लेकर छोटे-छोटे कंकड़ और यहां तक कि रेत भी शामिल है जो इसे समुद्र तट का एहसास देता है। इन झीलों पर बहुत सारी बस्तियाँ बसती हैं क्योंकि ये पानी का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बर्फ से ढकी चोटियों के सामने स्थित, ये झीलें आल्प्स के सुंदर परिदृश्यों के समान दिखती हैं।



ये जल निकाय हैं जो इस परिदृश्य के लिए अद्वितीय विभिन्न प्रकार के पक्षियों को आश्रय देते हैं। छड़ सिर वाला हंस जो प्रवासी है और इन झीलों में सुर्ख खोल बत्तख, सामान्य चौती, पनडुब्बी पक्षी, काले सिर वाला गल और सामान्य सैंडपाइपर प्रजनन करता है। ग्रीष्म ऋतु पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन का संचार करती है क्योंकि यह स्थान अचानक उनके द्वारा उत्पन्न सभी शोर-शराबे के साथ जीवंत हो उठता है। यह स्थान मध्य एशिया से आने वाले

कई पक्षियों जैसे काली गर्दन वाले सारस के लिए प्रवासी मार्ग है। इन पक्षियों को स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं। इस प्रवास के समय ये झीलें जीवन से भरपूर होती हैं। फिर सुनहरा बाज जैसे शिकारी भी हैं जो संभावित शिकार के लिए क्षितिज पर पुरगौर नजर रखता है।



इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर इसके अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल हैं। पहाड़ी क्षेत्र भरल या नीली भेड़ जैसे शाकाहारी जानवरों के लिए आदर्श स्थान है। ये जानवर फुर्तीले पैरों वाले होते हैं और लहरदार स्थलाकृति को पार कर सकते हैं। पहाड़ पर जीवित रहने का कौशल इस क्षेत्र की दो बकरियों की प्रजातियों में भी देखा जाता है जिन्हें आइबेक्स और माखोर के नाम से जाना जाता है। फिर तिब्बती जंगली गधा या किआंग है जो इन कठोर परिस्थितियों के लिए अनुकूलित है। यह भी इस शुष्क भूमि के चरागाहों में उपलब्ध छोटी घास को खाना चाहता है। मर्मोट्स इस क्षेत्र के बिलों में पाई जाने वाली कृतक प्रजातियाँ हैं। पिका या माउस खरगोश, जो खरगोश प्रजाति का है, इस क्षेत्र की हरी घास के मैदानों में पाया जाता है।



A snow leopard is shown walking through a snowy, mountainous landscape. The leopard's fur is a mix of grey, white, and black spots, providing excellent camouflage in the snow. It is looking towards the camera with a focused expression. The background is a bright, snowy slope with some dark rocks visible.



69

ऊंचाई मैदानी इलाकों से आने वालों को दुर्बल कर सकती है। साँस लेना एक समस्या बन जाती है और कई पर्यटकों को जंगली इलाकों में जाने से पहले अनुकूलन करने के लिए कहा जाता है। अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन सांद्रक जैसी पर्याप्त सुरक्षा वाले कई होटल मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह सब एहतियात बरतना है लेकिन चिकित्सीय आपात स्थिति असामान्य नहीं है। यहां तक कि यहां के निवासी भी ऊंचे स्थानों पर जाते समय पर्याप्त सावधानी बरतते हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, इस जगह की आभा किसी और से कम नहीं है। इसकी मौलिक सुंदरता अद्वितीय है और इसमें बाहरी लोगों के लिए एक चुंबकीय आकर्षण है। रोमांच की भावना से भरपूर कई लोग इस जगह पर आने का अवसर जाने नहीं देते। पहाड़ियों के लोग हृष्ट-पुष्ट और मजबूत माने जाते हैं, लेकिन इस स्थान पर आपको रेगिस्तान की अतिरिक्त जटिलता, पानी की कमी, ऑक्सीजन की कम सांद्रता, हवा की शुष्कता और इस सूखी भूमि में मरुद्यान के धब्बे मिलेंगे। कई लोग कह सकते हैं कि इस भूमि के निवासियों के लिए जीवन कठिन है, लेकिन वे इसे अपनी क्षमता और संकल्प को परखने के अवसर के रूप में देखते हैं। आखिर जीवन जो है वह चुनौतियों से भरा नहीं है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने उत्कृष्ट रूप से कहा था, “कठिनाई के बीच में अवसर छिपा होता है”।



आध्यात्मिकता भी बहुत से लोगों को अपनी प्राचीन भूमि की ओर आकर्षित करती है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, “यह भिक्षुओं और मठों की भूमि है, जहां आध्यात्मिकता उन नदियों की तरह बहती है जो घाटियों को पोषित करती हैं”। लंबे इतिहास में समाहित इस विरासत

को देखने और महसूस करने के लिए कई लोग आते हैं। शांति, आध्यात्मिकता और सादगी एक ऐसा मिश्रण बनाती है जो आंतरिक शांति की गहरी भावना पैदा करती है। कुछ अन्य लोग कहते हैं, "यह सिर्फ एक जगह नहीं है; यह एक भावना है, एक यात्रा है जो आपकी आत्मा को छूती है और आपको हमेशा के लिए बदल देती है।"



ए. बिपिन मेनन
अ. बिपिन मेनन

विकास आयुक्त
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र



योग का महत्त्व

विद्वानों द्वारा माना गया है कि योग का इतिहास 3000 ईसवी पूर्व का है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से ज्ञात होता है कि योग 5000 वर्षों से भी पहले से हो रहा है। वैदिक काल में योग को एकाग्रता हासिल करने और सांसारिक मुश्किलों को खत्म करने के लिए किया जाता था। महाभारत और भगवत गीता में योग के बारे में कहा गया है कि जिस व्यक्ति में दूसरों के प्रति विनम्रता है वह मनुष्य एक श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त कर सकता है। शास्त्रीय अवधि में शारीरिक मुद्राओं और सांस की तकनीकों को योग के साथ जोड़ा था। पतंजलि ऋषि ने आसन, शरीर और मन की सफाई, क्रियाओं और प्राणायाम को महत्त्व दिया। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की एक धर्म संसद में योग की विशेषताओं का उल्लेख किया और पूरे विश्व को योग से परिचित कराया। योग संस्कृत भाषा के यजु धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग आसन के साथ अध्यात्मिक अनुशासन है। योग एक कला के साथ विज्ञान भी है। यह शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए व्यवहारिक तरीके प्रदान करता है। योग शरीर और मन को आपसी तालमेल में रखता है। योग में आसन और प्राणायाम द्वारा शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है।

योग के प्रकार:

1. राजयोग – राजयोग को सभी योगों का राजा माना गया है। महर्षि पतंजलि ने इस योग के अन्तर्गत अष्टांग योग रखे हैं। इनमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं।
2. ज्ञान योग – यह योग मन से परिचित कराता है। इस योग से विचारों में शुद्धता आती है और अध्ययन करने से बुद्धि का विकास होता है।
3. कर्म योग – कर्म योग का अर्थ कार्य करना है। व्यक्ति बिना मोह-माया के अपना सांसारिक कार्य करता है और ईश्वर में लीन रहता है।
4. भक्ति योग – भक्ति योग में व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने ईश्वर की पूजा करना है। व्यक्ति के हृदय में प्रेम और ईश्वर का वास होता है।

दैनिक जीवन में हम अपनी क्षमता अनुसार आसन और प्राणायाम कर सकते हैं। इनमें ताड़आसन, भुजंगासन, सूर्य प्रणाम, हलासन, सेतु बांध आसन, त्रिकोणासन, बज्र आसन को सम्मिलित किया जा सकता है। आसन के साथ दैनिक क्रिया में प्राणायाम का भी अपना महत्त्व है। इसमें कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोमविलोम को सम्मिलित किया जा सकता है।

योग के लाभ —

योग से शारीरिक और मानसिक लाभ होता है ।

योग से शरीर निरोग और बलवान बनता है ।

योग से मानसिक तनाव दूर होता है ।

योग से एकाग्रता बढ़ती है ।

योग से पाचन शक्ति अच्छी होती है ।

योग से प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है ।

योग से सकारात्मक सोच बढ़ती है ।

योग से सहनशीलता बढ़ती है ।

योग से मस्तिष्क का विकास होता है ।

हम प्रतिवर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं । यह दिन हमें योग के प्रति सजग बनाने के लिए है । यह दिवस हमें योग को अपने जीवन शैली में अपनाने के लिए प्रेरित करता है । हमें अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए । स्वस्थ व्यक्ति ही सशक्त परिवार, खुशहाल समाज और श्रेष्ठ देश का निर्माण कर सकता है ।

योग डालता है नव प्राण,
इसे अपनाकर करे नवयुग का निर्माण



सुरेन्द्र मलिक

संयुक्त विकास आयुक्त
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) - बडगाम में एक स्पॉट अध्ययन



नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त और श्री सौरांशु सिन्हा, अवर सचिव

1. सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए)

1.1 कृषि उत्पादकता को बनाए रखना मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता और उपलब्धता पर निर्भर करता है। उपयुक्त स्थान विशिष्ट उपायों के माध्यम से इन दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देकर कृषि विकास को कायम रखा जा सकता है। भारतीय कृषि मुख्य रूप से वर्षा आधारित है, जो देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 60 प्रतिशत है और कुल खाद्य उत्पादन का 40 प्रतिशत हिस्सा है। इस प्रकार, वर्षा आधारित कृषि के विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण देश में खाद्यान्न की बढ़ती मांगों को पूरा करने की कुंजी है। इस दिशा में, कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के संदर्भ में, का समाधान करने के लिए 2014-15 में सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) तैयार और लॉन्च किया गया है। एनएमएसए के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:—



उद्देश्य:— एनएमएसए के प्राथमिक उद्देश्यों में टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाना, जल संसाधनों का संरक्षण करना और कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना शामिल है।

फोकस क्षेत्र: एनएमएसए कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जल उपयोग दक्षता, कृषि मशीनीकरण, जलवायु-लचीली कृषि, वर्षा आधारित खेती और कृषि वानिकी शामिल हैं।

1.2 एनएमएसए पूरे भारत में विभिन्न राज्य और जिला-स्तरीय एजेंसियों, कृषि विभागों और अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से संचालित होता है। इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना और जमीनी स्तर पर टिकाऊ कृषि प्रथाओं के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना है।

1.3. एनएमएसए का उद्देश्य भारतीय कृषि को शामिल करने वाले दस प्रमुख आयामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुकूलन उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है; 'उन्नत फसल बीज, पशुधन और मछली पालन', 'जल उपयोग दक्षता', 'कीट प्रबंधन', 'बेहतर कृषि पद्धतियाँ', 'पोषक तत्व प्रबंधन', 'कृषि बीमा', 'क्रेडिट समर्थन', 'बाजार', 'तक पहुंच' सूचना' और 'आजीविका विविधीकरण'। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इन उपायों को विभाग के चालू/प्रस्तावित मिशनों/कार्यक्रमों/योजनाओं में शामिल और मुख्यधारा में लाया जा रहा है। पुनर्गठन और अभिसरण की प्रक्रिया के माध्यम से कृषि और सहयोग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू)। एनएमएसए वास्तुकला को मृदा और जल संरक्षण, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास पर विशेष जोर देने के साथ टिकाऊ कृषि से संबंधित सभी चल रही और साथ ही नई प्रस्तावित गतिविधियों/कार्यक्रमों को एकत्रित, समेकित और समाहित करके डिजाइन किया गया है। एनएमएसए का ध्यान समुदाय आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आम संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना होगा।

2. जम्मू-कश्मीर में सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए)।

2.1 सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, स्थान विशिष्ट एकीकृत/मिश्रित कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर, उचित मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके, व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को अपनाकर कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ लाभकारी और जलवायु लचीला बनाने के लिए विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव

करता है। प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए कवरेज का विस्तार करने, किसानों की क्षमता विकसित करने और कुशल जल प्रबंधन के माध्यम से जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए मिट्टी की उर्वरता मानचित्र, मिट्टी परीक्षण आधारित मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों का अनुप्रयोग, उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग आदि पर आधारित प्रथाएं। हितधारकों, अन्य चल रहे मिशनों के साथ मिलकर।

2.2. पुनर्गठन के बाद सीएसएस “एनएसएम” को विकास के निम्नलिखित प्रमुखों के तहत लागू किया जाना है:-

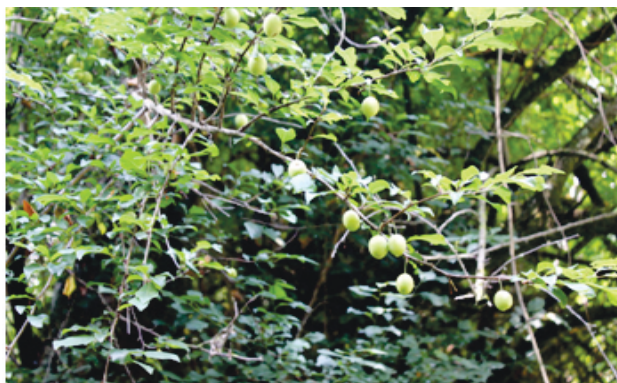
- वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी)।
- जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि निगरानी, मॉडलिंग और नेटवर्किंग।
- मृदा स्वास्थ्य मिशन (एसएचएम)।
- खेत जल प्रबंधन (ओएफडब्ल्यूएम) पर।

3. बडगाम जिले में एनएसएम की स्थिति

3.1 विशेष रूप से बडगाम जिले में, यह समझा जाता है कि धान की खेती से लेकर सेब, बादाम, अखरोट, नाशपाती, प्लम, चेरी आदि जैसी नकदी फसलों की खेती की ओर बदलाव हो रहा है। हालांकि पानी की कमी है। लेकिन कई स्थानों पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत कुआं खोदकर और विद्युत जल पंपिंग स्थापित करके भूजल प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त अधिकांश स्थानों पर झरनों के पानी को पाइपों के माध्यम से आवासीय स्थानों पर भेज दिया गया है। यह भी देखा गया कि कुछ स्थानों पर जमीन नहीं है। राज्य सिंचाई विभाग यूटी प्रशासन के ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य जोर के साथ सराहनीय काम कर रहा है।



3.2 केंद्र शासित प्रदेश सरकार के पास सेब, बादाम, अखरोट, बेर, नाशपाती, चेरी आदि के लिए विशिष्ट योजनाएं हैं। फलों की खेती जहां किसानों को उद्यानिकी विभाग से सहायता मिलती है।



3.3 इसी प्रकार, पीएमएमएसवाई (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना) योजना प्रचलन में है जिसमें लाभार्थियों को ट्राउट और कार्प इकाइयों के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत योग्य पंजीकृत मछुआरों को आवास इकाइयाँ प्रदान की जाती हैं।

3.4 हमने बडगाम जिले के नरवाल ब्लॉक के कनिहामा गांव का दौरा किया। जहां पाया गया कि ग्रामीण अपने मुख्य कार्य जीआई टैग, कानी शॉल के अलावा धान का उत्पादन कर रहे हैं।



3.5 अगला दौरा बडगाम ब्लॉक के रजवान ग्राम पंचायत में था। जहां झुकाव बागवानी खेती की ओर है।



3.6 हमने बडगाम जिले के खग ब्लॉक के अंतर्गत सोंगलिपोरा और सीताहरण गांव का भी दौरा किया। जहां, यह पाया गया कि एनएसएमए के तहत, ग्रामीण सेब, बादाम, अखरोट, धान आदि के उत्पादन में शामिल हैं। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर यूटी के मत्स्य पालन विभाग के पास शोंगली पोरा में एक ट्राउट मछली पालन केंद्र है, जहां वे ट्राउट मछली बिना किसी मध्यस्थ के सीधे जनता तक बेचते हैं।



शोंग्लिपोरा में ट्राउट मछली पालन केंद्र

3.7 दूसरी जगह, जहां हम गए, वह खाग ब्लॉक के अंतर्गत सीता हरण गांव था। ग्रामीण मुख्य रूप से सेब, मौसमी सब्जियों और बादाम की खेती में शामिल हैं, विशेष रूप से वहां की मिट्टी की गुणवत्ता की सीमित उर्वरता के आधार पर।



3.8 ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, कीटनाशक और उर्वरक के रूप में सरकार से अच्छा समर्थन मिलता है। इसके अलावा सरकार उन्हें सीधे खरीदारों से जोड़कर उनके उत्पादों पर अच्छा रिटर्न पाने में भी सहयोग कर रही है। यह भी बताया गया कि सरकार उन्हें उन फसलों की पहचान करने में भी सहायता कर रही है, जो उन्हें विशेष रूप से मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करने के बाद अच्छी मात्रा और अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद दे सकती हैं। ये कदम ग्रामीणों की वित्तीय स्थिति को सुधारने में बहुत उपयोगी रहे हैं।

3.9 भ्रमण के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि सीता हरण ग्राम में सीतानाग के नाम से एक झील है, जिसका धार्मिक महत्व है परन्तु तालाब तक पहुंच मार्ग का विकास नहीं किया गया है। सीता हरण गांव के आसपास बहुत सारी अनछुई प्राकृतिक सुंदरता देखी गई है, जिसके विकास से सरकार को भारी राजस्व की प्राप्ति हो सकती है और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है।



ऐसा महसूस किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार एनएसएमए की योजना को लागू करने में सराहनीय काम कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप बडगाम जिले में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हुआ है और वहां रहने वाले लोगों का सामाजिक और वित्तीय उत्थान हुआ है। हालाँकि, सरकार उर्वरक, कीटनाशक लाने और अपने उत्पादों के परिवहन के लिए दूरदराज के स्थानों से किसानों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए जिले के दूरदराज के स्थानों को अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों से जोड़ने के बारे में सोच सकती है। यह विकास पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए भी आकर्षित करेगा, जिससे अंततः जिले की रोजगार दर में वृद्धि होगी।

(यह अध्ययन सचिवालय और प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान के 69वें लेवल ई प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त और श्री सौरांशु सिन्हा, अवर सचिव के द्वारा किया गया।)



नितिन गुप्ता
उप विकास आयुक्त,
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

व्यापारिक स्वतंत्रता-एक विश्लेषण

हाल ही में देश ने स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ मनाई। इन 75 सालों में देश ने एक लम्बा सफर तय किया और सामाजिक, राजनितिक तथा आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया। आज हम डॉलर 3.53 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, जो 6%—8% की स्वस्थ दर से निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। इन सब के बीच आज देश में एक सशक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम भी मौजूद है जो अब तक 60,000 से अधिक स्टार्टअप को जन्म दे चुके हैं जो 56 से अधिक सेक्टर्स में कार्यरत हैं और 6 लाख से अधिक लोगों को नौकरिया प्रदान कर रहे हैं। इनमें से 106 स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्हें यूनिคอร์न का दर्जा मिल चुका है जिनका कुल मुल्यांकन 343 बिलियन डॉलर है। इन यूनिคอร์न ने अबतक कुल 94 बिलियन डॉलर की वित्तपोषण भी प्राप्त की है। यूनिคอร์न शब्द का संबोधन एक बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के साथ किसी निजी स्टार्टअप कम्पनी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में यह स्टार्टअप इकोसिस्टम रुपी बगीचे में पल रहे वो नन्हे पौधे हैं जिनमें अभूतपूर्व क्षमता है और इन्हीं में से कुछ विशालकाय वृक्ष का रूप लेते हुए अगली एप्पल, अमेजन या टेस्ला जैसी कम्पनियां बनने के लिए समर्थवान हैं।

आजादी के वक्त देश में समस्याओं का अम्बार था, एक तरफ साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे तो दूसरी तरफ अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी मूलभूत समस्याएँ अपने चरम थी। इन सबके बीच रियासतों का एकीकरण करना, एक मूलभूत ढांचे की परिकल्पना तथा रूप प्रदान करना और आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना जैसी प्रमुख चुनौतियाँ भी थी। इन विषम परिस्थितियों में देश ने एक मिश्रित अर्थ व्यवस्था के रूप में अपने कदम बढ़ाए, लेकिन झुकाव समाजवाद की तरफ ज्यादा था और निजी क्षेत्र को सीमित उद्योगों में ही कार्य करने की अनुमति थी। एक तरफ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुरे देश भर में स्थापित किया गया तथा दूसरी ओर निजी क्षेत्र में कई तरह के लाइसेंसिंग, कोटा तथा अन्य तरह की औपचारिकताओं का पालन अनिवार्य कर दिया गया। इन सब के बीच देश अपनी पञ्चवर्षीय योजनाओं के साथ विकास की ओर अग्रसर होता गया। परन्तु सरकारी क्षेत्र के उद्गम पूरी

तरह से उद्देश्यों की पूर्ति करने में विफल हो रहे थे और देश के संसाधनों का उपार्जन करने के बजाय घाटे में चल रहे थे ।

इन सब परिस्थितियों में देश आर्थिक तंगी की ओर अग्रसर होता गया और 1991 के खाड़ी युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में आयी अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी की वजह से देश ऐसी स्थिति में पहुँच गया जहाँ विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 1.2 बिलियन डालर रह गया और अत्यधिक बाह्य ऋण की वजह से देश में गंभीर आर्थिक संकट आ गया । इन सबके बीच देश ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिया और उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की आधारशिला पर नीतियों में अभूतपूर्व सुधार कार्यक्रम शुरू किये । इन सुधार कार्यक्रमों को लेकर आना एक बड़ी घटना थी जो देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था का झुकाव सरकारी क्षेत्र से हटा कर निजी क्षेत्र की तरफ बढ़ाया और सही अर्थों में देश में निजी क्षेत्र को व्यापारिक आजादी प्राप्त हुई ।

देश ने 1991 के बाद उदारीकरण की राह पर चलते हुए पिछले 30 वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया और नयी उचाईयों को हासिल किया । आज देश की अर्थव्यवस्था अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुकी है और आने वाले 25 वर्षों में देश एक विकासशील अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर एक विकसित अर्थव्यवस्था और महाशक्ति होने की राह में अग्रसर है और हम उस सफर के सौभाग्यशाली प्रत्यक्षदर्शी हैं । आज देश की स्टार्टअप इकोसिस्टम ने अभूतपूर्व प्रगति कर ली है और उद्दम पूंजी वित्तपोषण के तहत बहुतायात में वित्त देने वाले उपलब्ध हैं, देश के युवाओं को स्वर्णिम अवसर है कि वो इस व्यवस्था एवं संसाधन का उपयोग करते हुए अपने नए व्यापारिक विचार जो मानव जीवनशैली को बदलने तथा विकास करने की क्षमता रखती हो वो वैश्विक मंच पर लेकर आये और आर्थिक प्रगति में भागिदार बनते हुए देश को विश्वपटल में नई ऊँचाईयों पर पहुँचा सके ।



विवेक केसरवानी
निवारक अधिकारी
एनएसईजेड, नोएडा



ગ્લોબલ વાર્મિંગ

ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है। यह मानव जाति के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है।



यह मुख्य रूप से तेजी से औद्योगीकरण शहरीकरण और अन्य वायु प्रदूषणकारी स्रोतों के कारण कार्बन डाईऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होता है।



इन गैसों के लगातार निकलने से तापमान में भारी वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर में औसत तापमान में वृद्धि हुई है।



पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रही है। कार्बन डाईऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का बढ़ता स्तर पृथ्वी के वातावरण को गर्म कर रहा है।

कार्बन डाईऑक्साइड के स्तर में वृद्धि से तापमान में काफी वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन डाईऑक्साइड सैकड़ों वर्षों तक भी वायुमंडल में केंद्रित रहती है। बिजली उत्पादन, परिवहन और ऊष्मा के लिए जीवाश्म ईंधन के दहन जैसी गतिविधियों के कारण, मनुष्यों ने वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड में वृद्धि किया है।



हाल के वर्ष असामान्य रूप से गर्म रहे हैं, जिससे दुनिया भर में चिंता पैदा हो गई है। लेकिन तथ्य यह है कि कार्बन डाईऑक्साइड में वृद्धि वास्तव में 1800 में शुरू हुई, जिसका कारण दुनिया के जंगली हिस्सों के अलावा उत्तर-पूर्वी अमेरिका के एक बड़े हिस्से में वनों की कटाई थी।

ग्रीनहाउस गैसों का पर्यावरण पर गर्म प्रभाव पड़ता है, जो मानव जीवन के लिए बहुत प्रतिकूल है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से निचले तटीय इलाकों के साथ-साथ शहरों पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आशंका है कि इस तरह कुछ देशों का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के मिजाज में भी

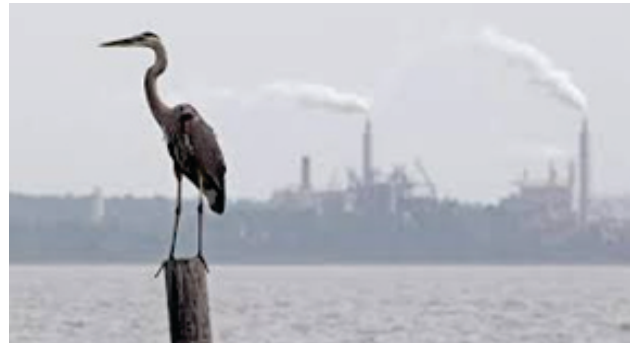


बदलाव आता है। इसके कारण पृथ्वी के कई क्षेत्रों में गंभीर मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ता है, जैसे सूखा, बाढ़ और अन्य असामान्य मौसम की स्थिति।

ग्लोबल वार्मिंग समुद्र के स्तर में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है क्योंकि यह धीरे-धीरे ग्लेशियरों को पिघलाता है।



ग्लेशियर दुनिया भर की अधिकांश नदियों और अन्य जल निकायों में पानी का बारहमासी स्रोत हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र स्तर का बढ़ना पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पहले से ही विभिन्न समुद्रों के तट पर बसे दुनिया के कई देश भारी बाढ़ के कारण विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं, जिसने उनकी निचली भूमि को काफी हद तक अपनी चपेट में ले लिया है। बारबार आने वाले तूफान और असामान्य मौसम पैटर्न जलवायुपरिवर्तन से जुड़ी अन्य



समस्याएं हैं। इसके अलावा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ता तापमान भी जलीय जीवन के नुकसान, और कीड़ों के कारण खतरनाक बीमारियों के फैलने के लिए जिम्मेदार है।

भारी जनसंख्या वृद्धि भी ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि का एक कारण है। हम प्रौद्योगिकियों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जो जीवाश्म ईंधन, कोयले के जलने और गैस के उत्सर्जन के कारण होता है।

मोटर गाड़ी के आंतरिक दहन में गैसोलीन जलाने



से भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है। इसके अलावा सल्फर डाईऑक्साइड गैस भी पर्यावरण प्रदूषण पर हानिकारक प्रभाव डालती है।

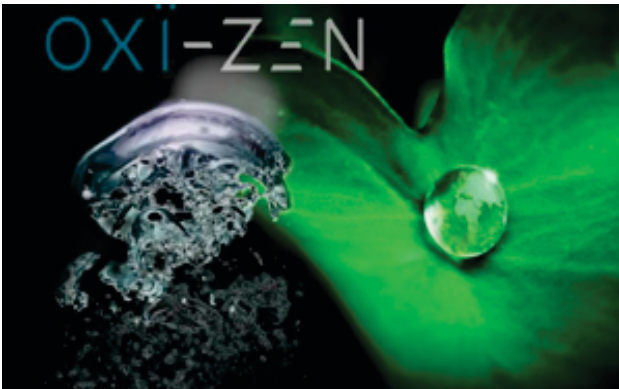


खाना पकाने जैसा साधारण कार्य भी बड़ी मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड उत्पन्न करता है।

हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए उचित पहल करनी होगी जैसे कि अधिक कार्बन डाईऑक्साइड का उत्पादन बंद करना। इसके लिए हमें तेल, कोयला और गैस की खपत कम करनी होगी। हमें नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, हम अधिक पेड़ लगा सकते हैं क्योंकि पेड़ कार्बन



डाईऑक्साइड को सोखने में बहुत सहायक होते हैं और साथ ही अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जब हम बिजली उत्पन्न करते हैं, तो हम एक साथ भारी मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड पैदा करते हैं। हमें निम्नलिखित क्रियाक्रम करके इस पर रोक लगा सकते हैं हमें कम ऊर्जा और बिजली का उपयोग करना होगा।



हमें बड़ी मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड, सल्फर, और मीथेन गैसों के उत्पादन से बचना होगा क्योंकि ये पर्यावरण के लिए पूरी तरह से हानिकारक हैं। हमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करके कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। पेड़ों को कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषित करने दें और ऑक्सीजन छोड़ने दें। बिजली, तेल, कोयला और गैस कार्बन डाईऑक्साइड के स्रोतों की खपत पर अपनी निर्भरता कम करें।

ऊर्जा का कम उपयोग करें और उत्पादों के पुनः चक्रण को अपनाएं। दुनिया के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने वाली आधुनिक उपभोक्तावादी जीवनशैली में उपयुक्त बदलाव करने की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों, सरकारों और व्यक्तियों को सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को रोकने के लिए सभी देशों द्वारा तत्काल प्रयास नहीं किए गए, तो इससे मानवजाति के भविष्य को बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए हम सब को एकजुट हो कर के इस विचार कर के इस के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।



अनूप कुमार
कार्यकारी

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेस-11, नौएडा- 201305
फोन संख्या- 0120-2567268 / 69 / 70
फैक्स संख्या- 0120-2562314

नगर कार्यालय:- 8 जी, 8वां तल, हंसालय बिल्डिंग, 15 बाराखम्मा रोड, नई दिल्ली-110001
Email: dc@nsez.gov.in Website: www.nsez.gov.in

अधिकारियों की सूची

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र				
क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	टेलीफोन संख्या	ई-मेल
1.	श्री अ. बिपिन मेनन	विकास आयुक्त	0120-2562315 (17)	dc@nsez.gov.in
2.	श्री सुरेन्द्र मलिक	संयुक्त विकास आयुक्त	0120-2567274 (18)	jdc@nsez.gov.in
3.	श्री रविकेश त्रिपाठी	उपायुक्त (सीमा शुल्क)	0120-2462667 (19)	dcc@nsez.gov.in
4.	श्री नितिन गुप्ता	उप विकास आयुक्त	0120-2567271 (20)	ddc1@nsez.gov.in
5.	श्री ग्या प्रसाद	उप विकास आयुक्त	0120-2567275 (49)	ddc2@nsez.gov.in
6.	श्री किरन मोहन मोहाडिकर	उप विकास आयुक्त	0120-2567273 (21)	ddc3@nsez.gov.in
7.	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	0120-2567270 (23)	kc.pant67@gov.in
8.	श्री मोहन वीर रुहेला	सहायक विकास आयुक्त	0120-2567270 (52)	adc2@nsez.gov.in
9.	श्री प्रकाश चन्द उपाध्याय	सहायक विकास आयुक्त	0120-2567270 (50)	adc3@nsez.gov.in
10.	श्री प्रमोद कुमार	सहायक विकास आयुक्त	0120-2567270 (79)	adc4@nsez.gov.in
11.	श्री राजेन्द्र मोहन कश्यप	सहायक विकास आयुक्त	0120-2567270 (48)	kashyap@nsez.gov.in
12.	श्री अरुण कुमार अग्रवाल	सहायक विकास आयुक्त	0120-2567270 (24)	adc5@nsez.gov.in
13.	श्री विनय मलिक	मूल्य निरूपक, (सीमा शुल्क) नौ.वि.आ.क्षेत्र	0120-2567270 (33)	vinaym.c081603@gov.in
14.	श्री रजनीश कुमार	अधीक्षक (सीमा शुल्क) नौ.वि.आ.क्षेत्र	0120-2567270 (58)	rajnishk.c091201@gov.in
15.	श्री सचिन्दर राणा	मूल्य निरूपक, (सीमा शुल्क) नौ.वि.आ.क्षेत्र	0120-2567270 (29)	sachinderr.g011201@gov.in
16.	श्री सुधीर कुमार	मूल्य निरूपक, (सीमा शुल्क) नौ.वि.आ.क्षेत्र	0120-2567270 (36)	sudhirkumar.g139402@gov.in
17.	श्री बाल किशन	अधीक्षक (सीमा शुल्क) प्राईवेट एसईजैड	-	balkishan.g139301@gov.in
18.	श्री सतीश चन्द्र बदलाकोटी	अधीक्षक (सीमा शुल्क) प्राईवेट एसईजैड	-	satishbudlak.g139301@gov.in



क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	टेलीफोन संख्या	ई-मेल
19.	श्री संजय राणा	अधीक्षक (सीमा शुल्क) प्राईवेट एसईजैड	-	sanjay.rana334@gmail.com
20.	श्री सुजीत कुमार	अधीक्षक (सीमा शुल्क) प्राईवेट एसईजैड	-	kumarsujit.g139401@gov.in
सीतापुरा (जयपुर), विशेष आर्थिक क्षेत्र				
1.	श्री बुद्धि प्रकाश	उपायुक्त (सीमा शुल्क) सीतापुरा (जयपुर)	0141-2771744	buddhi.prakash@gov.in
2.	श्री पंकज शर्मा	सहायक विकास आयुक्त, सीतापुरा (जयपुर)	0141-2770250	adcjaipur@nsez.gov.in
3.	श्री गौरव कुमार अग्रवाल	अधीक्षक (सीमा शुल्क) सीतापुरा (जयपुर)	0141-2770250	gauravka.c081601@gov.in
4.	श्री महेन्द्र सिंह दिवच	अधीक्षक (सीमा शुल्क) सीतापुरा (जयपुर)	0141-2770250	mahendrasd.c051301@gov.in
5.	श्री राजेश अग्रवाल	अधीक्षक (सीमा शुल्क) महिन्द्रा जयपुर	0141-6683400	rajasha.co58801@gov.in
6.	श्री योगेन्द्र कुमार गुप्ता	अधीक्षक, (सीमा शुल्क) महिन्द्रा जयपुर	0141-6683400	yogendra.g109201@gov.in
7.	श्री राजेश कुमार अरोरा	अधीक्षक, (सीमा शुल्क) महिन्द्रा जयपुर	0141-6683400	rk.arora-rj@gov.in
मुरादाबाद, विशेष आर्थिक क्षेत्र				
1.	श्री विकास यादव	सहायक विकास आयुक्त, मुरादाबाद	0591-2350001	adc@moradabadsez.gov.in
2.	श्री कुशल सिंह रावत	अधीक्षक (सीमा शुल्क) मुरादाबाद	0591-2350001	kushal@moradabadsez.gov.in
3.	श्री भूषण शर्मा	अधीक्षक (सीमा शुल्क) मुरादाबाद	-	bhushan@moradabadsez.gov.in
गुरुग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र				
1.	श्री जैनेन्द्र जैन	सहा. आयुक्त (सीमा शुल्क) गुरुग्राम	-	jainendraj.co49201@gov.in
2.	श्री कमल किशोर पाण्डेय	अधीक्षक (सीमा शुल्क) गुरुग्राम	-	kamalkpg088601@gov.in
3.	श्री पंकज नेगी	अधीक्षक (सीमा शुल्क) गुरुग्राम	-	pankajn.g089201@gov.in
4.	श्री चन्द्र शेखर मिश्रा	अधीक्षक (सीमा शुल्क) गुरुग्राम	-	cshekher.mishra@gov.in
5.	श्री अमित कुमार	अधीक्षक (सीमा शुल्क) गुरुग्राम	-	amitk.g080602@gov.in
6.	श्री कुमार नरोत्तम	अधीक्षक (सीमा शुल्क) गुरुग्राम	-	kumarkn.d110701@gov.in
मोहाली (पंजाब), विशेष आर्थिक क्षेत्र				
1	श्री करन गोयल	सहायक विकास आयुक्त, मोहाली (पंजाब)	-	karan.goyal986@punjab.gov.in
2	श्रीमती पूनम	निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क) चण्डीगढ़	-	poonamk.1969@gov.in
3	श्री हरसिमरत सिंह बराड़	अधीक्षक (सीमा शुल्क) चण्डीगढ़	-	harsimrat.brar@gov.in
4	श्री जितेन्द्र यादव	अधीक्षक (सीमा शुल्क) चण्डीगढ़	-	jeetendra.yadav@gov.in

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नोएडा दादरी रोड, फेस - II, नोएडा
जिला - गौतमबुद्ध नगर - 201305

आपको हमारा "प्रेरणा" का विशेष संस्करण अंक कैसा लगा जरूर बताएं। हम आपके सुझाव और सहयोग का स्वागत करेंगे साथ ही भविष्य में आप अपनी कहानियाँ, कविताएं चित्र, एसईजेड में उल्लेखनीय घटनाएं, एसईजेड का प्रदर्शन, एसईजेड, ईओयू विदेश व्यापार निति, स्वच्छता, काम की नैतिकता, योग और फिटनेस, सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता, "DESH विधेयक" अन्य के बारे में अपने लेख भेजते रहें, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं।

सम्पादन:-



श्री बिपिन मेनन
विकास आयुक्त



श्री सुरेन्द्र मलिक
संयुक्त विकास आयुक्त



श्री नितिन गुप्ता
उप विकास आयुक्त



श्री मोहन वीर रुहेला
सहायक विकास आयुक्त



भारत का
अमृतकाल



एक कदम स्वच्छता की ओर

नौएडा दादरी रोड, फेस-II, नौएडा
जिला-गौतम बुद्ध नगर - 201305